राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 28/01/2021 को संपन्न 356वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

——00——

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021 को श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

श्री धीरेन्द्र शर्मा द्वारा विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की गई। समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 355वीं बैठक दिनांक 27/01/2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 355वीं बैठक दिनांक 27/01/2021 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों, परियोजना एवं औद्योगिक *परियोजना संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण* उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स श्री प्यारे लाल साहू (दर्रीटोला आर्डिनरी क्वारी), ग्राम–दर्रीटोला, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1497)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 189470/2020, दिनांक 23/12/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–दर्रीटोला, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 208/1, 208/2 एवं 211, कुल क्षेत्रफल–1.113 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–13,502 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण–

(अ) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 07/01/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्यारे लाल साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत महराजपुर का दिनांक 19/06/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉगविथ इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/3634/खनिज/उत्ख.यो.अनु./2020, कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 07/12/2020 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 3633/खनिज/उ.प./2020 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 07/12/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर है। प्रस्तुत 500 मीटर प्रमाण पत्र में खदानों के बीच की दूरी का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः 500 मीटर का संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/3632/खनिज/उ. प./2020, कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 07/12/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक /3490/खनिज/उ.प. /दर्रीटोला/2020/ कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 17/11/2020 द्वारा जारी की गई, जो 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री उपेन्द्रनाथ सिंह के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत नही किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.), मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2020/526 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 13/03/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 0.25 कि.मी. से अधिक दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–दर्रीटोला 2.5 कि.मी एवं स्कूल ग्राम–दर्रीटोला 2.5 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.3 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 6.8 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,52,428 टन, माईनेबल रिजर्व 1,13,821 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,08,130 टन है। लीज की

7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,890 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,120 घनमीटर है। इसको सीमा पट्टी (7.5 मीटर) फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	13,503
द्वितीय	13,503
तृतीय	13,503
चतुर्थ	13,503
पंचम	13,503

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छष्ठम	11,356
सप्तम	11,340
अष्टम	8,910
नवम	7,776
दशम	6,755

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
16.22	2%	0.324	Following activities at	

			Government Primary School, **Village-Darritola**	
			Rain Water Harvesting System	0.25
			Potable Drinking water Facility	0.15
			Total	**0.40**

16. ब्लॉक्ड रिजर्व की मात्रा की गणना में त्रुटि है, जिसके कारण प्रस्तुत उत्खनन योजना में ब्लॉक्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल कम बताया गया। अतः उक्त त्रुटि को सुधार कर संशोधित अनुमोदित उत्खनन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी अद्यतन जानकारी (खदानों के बीच की दूरी का उल्लेख करते हुये) प्रस्तुत की जाए।
3. उत्खनन हेतु भू–स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स श्रीमती संगीता देवी रूंगटा (डुमरडीहकला लाईम स्टोन माईन), ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1173)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 143064/2020, दिनांक 13/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 24/12/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 181, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–12,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण–

(अ) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 07/01/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–**

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री साहिल रूंगटा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीहकला का दिनांक 28/10/2002 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.) जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./तीन–6/ख.लि./2016/129 रायपुर, दिनांक 18/01/2016 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /218/ख.लि.01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 25/01/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 32.774 हेक्टेयर है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2568/ख.लि. 02/2019, राजनांदगांव, दिनांक 18/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. **लीज का विवरण** – लीज श्रीमती संगीता देवी रूंगटा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 27/02/2014 से 26/02/2024 तक की अवधि हेतु वैध है।
6. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री महेन्द्र कुमार रूंगटा के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./5–29/10457 राजनांदगांव, दिनांक 02/11/2002 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ठेल्काडीह 0.5 कि.मी, स्कूल ग्राम–ठेल्काडीह 0.685 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–ठेल्काडीह 0.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.85 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,50,000 टन, माईनेबल रिजर्व 1,03,315 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 92,984 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,810 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,938
द्वितीय	5,625
तृतीय	7,313
चतुर्थ	9,188
पंचम	12,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से लिया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

    i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 181, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता– 12,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 06/09/2016 को जारी की गई। यह

स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई। उक्त पर्यारणीय स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 230/ख.लि.01/2021, राजनांदगांव, दिनांक 27/01/2021 द्वारा विगत वर्षो में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2014–15	3,511
2015–16	125
2016–17	4,000
2017–18	7000.5
2018–19	8,300
2019–20	11,000

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति एवं स्वीकृत लीज क्षेत्र में भिन्नता है, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि स्वीकृत लीज क्षेत्र के बाहर भी उत्खनन किया गया है। उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2016 में तैयार माईनिंग प्लान में को–ऑर्डिनेट्स में त्रुटि होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति एवं लीज क्षेत्र में भिन्नता है। उक्त को–ऑर्डिनेट्स में त्रुटि के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भाग उत्तर से उत्तर–पश्चिम दिशा के 120 मीटर की लंबाई में 2.5 से 6 मीटर की गहराई तक, दक्षिण–पश्चिम से दक्षिण–पूर्व दिशा के 116 मीटर की लंबाई में 2 मीटर से 6 मीटर तक उत्खनन किया जा चुका है। इसी प्रकार दक्षिण–पश्चिम दिशा में 33 मीटर की लंबाई में 3 से 6 मीटर की गहराई तक उत्खनन किया गया है।

17. प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में ब्लॉक्ड रिजर्व की गणना में त्रुटि है। पूर्व से उत्खनित क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है, उक्त क्षेत्र के ब्लॉक्ड रिजर्व एवं बेंच वाईस रिर्जव की गणना भी नहीं की गई है। साथ ही प्रस्तुत लेण्ड यूज पैटर्न में लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के क्षेत्रफल का विवरण भी नहीं दिया गया है। अतः उपयुक्त की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. उपरोक्त विवरण अनुसार रिजर्व की विस्तृत गणना कर, संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। अतः उक्त उत्खनित क्षेत्र का विवरण, लंबाई, गहराई सहित नक्शे में प्रदर्शित कर

वर्तमान में भराव (बेकफिल) हेतु प्रयुक्त मिट्टी / ओव्हरबर्डन की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. लीज क्षेत्र के सीमांकन की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स सिरिसगुड़ा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री जय पवार), ग्राम–सिरिसगुड़ा, तहसील–तोकापाल, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1498)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 189997/2020, दिनांक 26/12/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सिरिसगुड़ा, तहसील–तोकापाल, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 486, कुल क्षेत्रफल–0.405 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–5,036 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण–

(अ) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 07/01/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. कार्यालय कलेक्टर से जारी 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।
2. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 26/01/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग (अपर सिकासार रिजर्वायर प्रोजेक्ट), ग्राम–फरसरा, तहसील–मैनपुर, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1499)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आरआईवी /189552/2020, दिनांक 27/12/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रिव्हर वेली परियोजना है। परियोजना ग्राम–फरसरा, तहसील–मैनपुर, जिला–गरियाबंद, कुल कल्चरेबल कमाण्ड एरिया (Culturable Command Area) – 2,000 हेक्टेयर में प्रस्तावित है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 07/01/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित क्रियाकलाप से जलप्रवाह में किसी प्रकार की आपदा की घटना (जिसमें उस जल क्षेत्र की टोपोग्राफी या उस क्षेत्र की भूमि शामिल हो) जैसेः– मृदा अपरदन आदि के उचित रोकथाम की व्यवस्था तथा क्षेत्र के जीव एवं वनस्पतियो पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए अपनाये जाने वाले उचित उपायों संबंधी हेतु जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. प्रभावित स्थान की विशिष्ट स्थलाकृति पर पड़ने वाले/आने वाले परिवर्तन एवं उसके रोकथाम के उपायों संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. उक्त क्षेत्र में मृदा की जल ग्रहण क्षमता में होने वाले परिवर्तन के बारे में एवं इसके प्रभाव को कम करने संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. प्रस्तावित परियोजना में यदि किसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित हो तो उस संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

5. प्रस्तावित परियोजना में उपयोग होने वाले भूमि (वन, राजस्व, निजी स्वामित्व, बंजर आदि) संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स श्री मोहन साहू (मकरन्दीपुर ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी माईन एवं फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट), ग्राम–मकरन्दीपुर, तहसील–रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1476)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 185185/2020, दिनांक 27/11/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 28/12/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–मकरन्दीपुर, तहसील–रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 2386, कुल क्षेत्रफल – 1.77 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,932.08 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ईंट उत्पादन क्षमता – 9,85,781 नग प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 07/01/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन

में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहन साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत तिवरागुड़ी का दिनांक 25/01/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3537/खनिज/2017 सूरजपुर, दिनांक 03/11/2017 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन कमांक 1384/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 24/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन कमांक 1384/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 24/12/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, दार्शिनिक स्थल, अस्पताल, स्कूल, भवन, पुल, नहर, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति परियोजना आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री मोहन साहू के नाम पर है, जिसकी अवधि 30 वर्ष हेतु अर्थात् दिनांक 03/06/2018 से दिनांक 02/06/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमण्डल, अंबिकापुर के ज्ञापन कमांक/मा.चि./2371/2004

अंबिकापुर, दिनांक 15/10/2004 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मकरन्दीपुर 0.6 कि.मी., स्कूल ग्राम–मकरन्दीपुर 0.76 कि.मी. एवं अस्पताल रामानुजगंज 4.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.75 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14.4 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 26,351 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 20,308 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 18,277 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्‌टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 683.73 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर क्षेत्र में ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा (किल्न) प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्‌टी के साथ 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित मिट्‌टी उत्खनन (घनमीटर)	ईंट उत्पादन (नग)
प्रथम	1,932	10,37,664
द्वितीय	1,861	9,99,746
तृतीय	1,865	10,01,598
चतुर्थ	1,861	9,99,646
पंचम	1,826	9,80,920

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित मिट्‌टी उत्खनन (घनमीटर)	ईंट उत्पादन (नग)
छष्टम	1,794	9,63,607
सप्तम	1,822	9,78,376
अष्ठम	1,819	9,77,136
नवम	1,837	9,86,448
दशम	1,659	8,91,190

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 342 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 2386, क्षेत्रफल 1.77 हेक्टेयर, अधिकतम क्षमता– 9,81,633 नग प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सूरजपुर द्वारा दिनांक 06/02/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई है।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1385/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 24/12/2020 के अनुसार विगत वर्षो में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	ईंट उत्पादन (नग)
16/06/2018 से 31/12/2018	0
01/01/2019 से 31/12/2019	2,40,000
01/01/2020 से 30/09/2020	1,41,500

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
38	2%	0.76	Following activities at Government Primary School, **Village-Harijanpara Tiwaragudi**	
			Rain Water Harvesting System	0.55
			Plantation	0.21
			Total	**0.76**

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन कमांक 1384/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 24/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–मकरन्दीपुर) का रकबा 1.77 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स मकरन्दीपुर ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी माईन एवं फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री मोहन साहू) की ग्राम–मकरन्दीपुर, तहसील–रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर के खसरा क्रमांक 2386 में स्थित मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 1.77 हेक्टेयर, क्षमता – 1,932 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता – 9,85,781 नग) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स बिलाडी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री संजय सहगल), ग्राम–बिलाडी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1190)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 144140/2020, दिनांक 20/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 26/02/2020 एवं 17/07/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/07/2020 एवं 19/08/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बिलाडी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 105/1, कुल क्षेत्रफल–2.9 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,500 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02/09/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/ पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
4. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष) खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय सहगल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बिलाडी का दिनांक 06/05/2004 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 04/ख.लि./तीन–6/उ.प./2017 रायपुर, दिनांक 03/04/2017 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /क/ख.लि./तीन–6/2019/2047 रायपुर, दिनांक 25/09/2019 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /क/ख.लि. /तीन–6/2019/2036 रायपुर, दिनांक 24/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे

मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज श्री शिव कुमार देवागंन के नाम पर थी। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 27/11/2004 से 26/11/2014 तक की अवधि हेतु थी। लीड डीड का हस्तांतरण श्री संजय सहगल के नाम पर दिनांक 02/09/2010 को किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज डीड की अवधि वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./रा/3025 रायपुर, दिनांक 07/09/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बिलाडी 1 कि.मी, स्कूल ग्राम–बिलाडी 1 कि.मी. एवं अस्पताल तिल्दा 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,35,000 टन, माईनेबल रिजर्व 3,02,133 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,71,919 टन है। जियोलॉजिकल रिजर्व की गणना 6 मीटर गहराई तक की गई है। विगत 10 वर्षों में 0.93 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.49 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 3 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 1,866 घनमीटर एवं मोटाई 0.2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं वर्तमान में इसकी स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	933	1.5	1,400	3,500
द्वितीय	933	1.5	1,400	3,500
तृतीय	933	1.5	1,400	3,500
चतुर्थ	933	1.5	1,400	3,500
पंचम	933	1.5	1,400	3,500

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
छटवे	933	1.5	1,400	3,500
सातवे	933	1.5	1,400	3,500
आठवे	933	1.5	1,400	3,500
नौवे	933	1.5	1,400	3,500
दसवे	933	1.5	1,400	3,500

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् से सहमति ली जाएगी।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऊपरी मिट्टी को प्रथम वर्ष में उत्खनन कर, 7.5 मीटर की पट्टी में भण्डारण/संरक्षित कर प्रथम वर्ष में ही पूर्ण वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 105/1, कुल क्षेत्रफल – 2.9 हेक्टेयर, क्षमता – 300 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 12/06/2015 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/10/2015 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन दिनांक 06/10/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2010	250
2011	500
2012	निरंक
2013	500
2014	निरंक

v. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उत्खनन कार्य वर्ष 2014 से बंद है। चुंकि लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 27/11/2004 से 26/11/2014 तक की अवधि हेतु थी।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव में शासकीय स्कूल, ग्राम–बिलाड़ी में प्रस्तावित रेन वॉटर

हार्वेस्टिंग एवं वृक्षारोपण की उपयुक्त गणना तथा कुल लागत में प्रस्तावित क्रशर की लागत को समावेश नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में ब्लॉक्ड रिजर्व की गणना में प्रस्तावित क्रशर क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है एवं उक्त क्षेत्र के ब्लॉक्ड रिजर्व की गणना भी नहीं की गई है। साथ ही प्रस्तुत लेण्ड यूज पैटर्न में लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के क्षेत्रफल का विवरण नहीं दिया गया है। अतः उपयुक्त की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. उपरोक्त विवरण अनुसार रिजर्व की विस्तृत गणना कर, संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव में कुल लागत में प्रस्तावित क्रशर की लागत को समावेश किया जाए एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण आदि की उपयुक्त गणना सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/11/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/01/2021 को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. पूर्व में दिनांक 03/04/2017 को प्रस्तुत अनुमोदित क्वारी प्लान में जियोलॉजिकल रिजर्व 4,35,000 टन, माईनेबल रिजर्व 3,02,133 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,71,919 टन होना बताया गया है, जबकि गणना में प्रस्तावित क्रशर क्षेत्र में ब्लॉक्ड रिजर्व को शामिल नहीं किया गया। वर्तमान में प्रस्तुत संशोधित माईनिंग प्लान में जियोलॉजिकल रिजर्व 4,23,750 टन एवं माईनेबल रिजर्व 2,97,150 टन है। साथ ही ब्लॉक्ड रिजर्व की गणना में प्रस्तावित क्रशर क्षेत्र (ब्लॉक्ड रिजर्व 22,500 टन) होना बताया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि गणना में त्रुटि है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
2. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव में कुल लागत में प्रस्तावित क्रशर की लागत को समावेश करते हुये प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण आदि की उपयुक्त गणना सहित निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh

				Rupees)
70.04	2%	1.40	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Biladi**	
			Rain Water Harvesting System	1.00
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Plantation with fencing	0.30
			Total	**1.45**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को बिन्दु क्रमांक 1 के संबंध में स्पष्ट जानकारी एवं समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय सहगल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **उत्खनन योजना** – संशोधित क्वारी प्लान एलांगविथ इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन पृ.क्रमांक 5112/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 03/04/2017 द्वारा अनुमोदित है। जिसमें जियोलॉजिकल रिजर्व 4,31,250 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,04,650 टन है। साथ ही ब्लॉक्ड रिजर्व की गणना में प्रस्तावित क्रशर क्षेत्र 1,500 वर्गमीटर (कुल ब्लॉक्ड रिजर्व 22,600 टन) होना बताया गया है।
2. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व में इस चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 105/1, कुल क्षेत्रफल–2.9 हेक्टेयर, क्षमता–300 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 12/06/2015 को जारी की गई थी। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता–3,500 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन मंगाये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स श्री राम रोलिंग मिल (पार्टनर– श्री संदीप गिदवानी), प्लॉट नं. 13बी, रावांभाठा इण्डस्ट्रियल एरिया, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1384)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 171751/ 2020, दिनांक 07/09/2020।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रावांभाठा इण्डस्ट्रियल एरिया, जिला–रायपुर स्थित प्लॉट नं. 13बी(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 0.497 हेक्टेयर में एम.एस. बिलेट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता – 22,000 टन प्रतिवर्ष से 44,000 टन प्रतिवर्ष एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 8,000 टन प्रतिवर्ष (थ्रू बिलेट रि–हीटिंग) से 49,360 टन प्रतिवर्ष (41,360 टन प्रतिवर्ष थ्रू हॉट चार्ज एवं 8,000 टन प्रतिवर्ष थ्रू बिलेट रि–हीटिंग) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाये।
2. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाये। यह स्पष्ट किया जावे कि भूमि इण्डस्ट्रीयल एरिया के अंतर्गत शामिल है अथवा नहीं? यदि भूमि इण्डस्ट्रीयल एरिया के अंतर्गत शामिल है, तो इसकी पुष्टि हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत की जाये।
3. वर्तमान रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? री–हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी। वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस की संख्या, क्षमता, इसमें स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं स्थापित चिमनी की ऊंचाई संबंधी जानकारी गणना सहित। क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में यदि री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाये।
4. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाये।
5. सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाये।

6. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाये।
7. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 06/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शंकर गिदवानी, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से री–रोल्ड प्रोडक्ट क्षमता–8,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, एम.एस. इंगाट क्षमता–15,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं एम.एस. बिलेट्स क्षमता–7,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 26/09/2019 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 30/09/2024 तक वैध है।
- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ आबादी बिरगांव 1 कि.मी. एवं शहर रायपुर 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन रायपुर 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 30 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारून नदी 6 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Existing Area (in SQM)	Proposed Change Area (in SQM)	After proposed expansion Area (in SQM)
1	Rooftop/Builtup Area	2,060	273	2,333
2	Area under road and paved	369	-150	219
3	Green Belt	1,491	497	1,988

4	Open Area	1,050	-620	430
Total		**4,970**	**0**	**4,970**

4. रॉ–मटेरियल –

S. No.	Raw Material	Existing Capacity (TPA)	After proposed expansion Capacity (TPA)
For Induction Furnace, CCM and in expansion Hot Charging Rolling Mill			
1.	Sponge Iron	20,460	38,280
2.	Scrap	6,050	10,547
3.	Ferro Alloys	220	331
4.	Ingot Mould	70	0
For Billet Re-heating Furnace Rolling Mill (Based on Pulverised Coal)			
1.	Billets	8,800	8,800
2.	Coal	960	800

5. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Existing Capacity (TPA)	After Expansion Capacity (TPA)
1.	Induction Furnace 7 MT x 1 Nos with CCM to produce MS Ingot/ Billet of Capacity - 22,000 TPA	Induction Furnace + Hot Charging RM 7 MT x 2 Nos to produce MS Ingot/ Billet of Capacity - 44,000 TPA and/or 41,360 Hot Charged Rerolled Product
2.	Re-rolling Mill with BRF 1 No. with 8,000 TPA	Re-rolling Mill with BRF 1 No. with 8,000 TPA
3.	Coal Consumption 120 Kg/Ton of Re-rolled steel	Coal Consumption 100 Kg/Ton of Re-rolled steel

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्शन हुड, वेट स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का उन्नयन कर सक्शन हुड तथा बेग फिल्टर लगाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में री–हिटिंग फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेट स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के लिए प्रस्तावित नई व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से घटाकर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर होना प्रस्तावित है। हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल एवं ईंधन का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र एवं चिमनी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग – 2,200 टन प्रतिवर्ष एवं री–रोलिंग मिल से मिल स्केल 1,500 टन प्रतिवर्ष, मिस कास्ट 1,100 टन प्रतिवर्ष, मिस रोल/एण्ड कटिंग 400 टन प्रतिवर्ष एवं कोल ऐश 384 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। क्षमता विस्तार

उपरांत इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग – 4,400 टन प्रतिवर्ष एवं री–रोलिंग मिल से मिल स्केल 1,280 टन प्रतिवर्ष, मिस कास्ट 880 टन प्रतिवर्ष, मिस रोल/एण्ड कटिंग 1,280 टन प्रतिवर्ष एवं कोल ऐश 320 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को मेटल रिकवरी इकाईयों को उपलब्ध कराया जाएगा। मिल स्केल को फेरो एलॉयज एवं पैलेट प्लांट इकाई को विक्रय किया जाएगा। मिस कास्ट/मिस रोल/एण्ड कटिंग को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में पुनःउपयोग किया जाएगा। कोल ऐश को ईंट निर्माण इकाईयों को उपलब्ध कराया जाएगा। यही व्यवस्था वर्तमान में अपनाई गई है।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 16 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 14 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जा रहा है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 23 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 21 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति बाबत् आवेदन किया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 3,315 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान में 2 नग रिचार्ज वेल (व्यास 2 मीटर, गहराई 3 मीटर) स्थापित है तथा 2 नग रिचार्ज वेल (व्यास 2 मीटर, गहराई 3 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परिसर के बाहर भी 2 नग रिचार्ज वेल (व्यास 2 मीटर, गहराई 3 मीटर) एवं 2 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, गहराई 1 मीटर) की स्थापना प्रस्तावित किया गया है।

9. **कोयले की मात्रा** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान स्थापित री–हीटिंग आधारित रोलिंग मिल में प्रति टन रोल्ड प्रोडक्ट्स के निर्माण

हेतु 120 किलोग्राम कोयले की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् उक्त स्थापित री–हीटिंग फर्नेस में डिजाईन में सुधार किया जाना, ऑक्सीजन एनॉलाईजर, वेस्ट हिट रेक्युपरेटर की स्थापना, इन्सुलेशन, कोल फीडिंग एवं कोल हथालन सिस्टम का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है, जिससे रोलिंग मिल में प्रति टन रोल्ड प्रोडक्ट्स के निर्माण हेतु 100 किलोग्राम कोयले की आवश्यकता होगी।

10. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – स्थापित इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से उत्पादन की दशा में एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषको के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 1.47 टन प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 1.197 टन प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में इकाई से कुल 5,584 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है एवं प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 8,160 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होना संभावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 3.6 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु 6 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिकली इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.198 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 30 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना बताया गया है, जिसे बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
200	2%	4.0	Following activities at Government Primary School & Middle School (Shaktipara), **Village – Urkura**	

			Rain Water Harvesting System	4.00
			Potable Drinking Water Facility	
			Running Water Facility	
			Plantation	

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं को ले–आउट में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाए। परिसर के बाहर प्रस्तावित 2 नग रिचार्ज वेल (व्यास 2 मीटर, गहराई 3 मीटर) एवं 2 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, गहराई 1 मीटर) की स्थापना बाबत् चयनित भूमि का विवरण एवं पानी के कुल रनऑफ की गणना प्रस्तुत की जाए।
3. स्थापित री–हीटिंग फर्नेस में प्रस्तावित उन्नयन कार्यों का तकनीकी विवरण गणना सहित प्रस्तुत की जाए।
4. उपरोक्त विवरण अनुसार स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/12/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/01/2021 को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 20/12/2023 तक है।
2. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं को ले–आउट में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया गया है। परिसर के बाहर (1) सामुदायिक भवन, भोजपुरी समाज ट्रांसपोर्ट नगर, रावाभांटा, (2) आंगनबाड़ी केन्द्र शक्ति नगर, उरकुरा, (3) शासकीय हाई स्कूल उरकुरा एवं (4) सामुदायिक भवन, शक्तिपारा चौक में प्रस्तावित किया गया है। उद्योग परिसर एवं परिसर के बाहर प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत गणना (कुल रनऑफ की मात्रा प्रस्तावित व्यवस्था उपरांत हार्वेस्टेड जल की मात्रा आदि) प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. स्थापित री–हीटिंग फर्नेस में प्रस्तावित उन्नयन कार्यों का तकनीकी विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार री–हीटिंग फर्नेस की इन्सुलेशन में सुधार,

ऑक्सीजन एनालाईजर का उपयोग, वेस्ट हीट रिकुपरेटर की स्थापना एवं कोल फीडिंग सिस्टम में सुधार किया जाएगा, जिससे कोयले की मात्रा 907 टन प्रतिवर्ष से घटकर 800 टन प्रतिवर्ष होगी। उक्त हेतु गणना प्रस्तुत नहीं की गई है।

4. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही सोलर पैनल व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव किया गया है, जो कि पूर्व में प्रस्तुत सी.ई.आर. प्रस्ताव से भिन्न है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उद्योग परिसर एवं परिसर के बाहर प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत गणना (कुल रनऑफ की मात्रा प्रस्तावित व्यवस्था उपरांत हार्वेस्टेड जल की मात्रा आदि) प्रस्तुत किया जाए।
2. स्थापित री–हीटिंग फर्नेस में प्रस्तावित उन्नयन कार्यों उपरांत कोयले की मात्रा में कैसे कमी होगी इस बाबत् विस्तृत गणना प्रस्तुत की जाए।
3. समिति के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत सी.ई.आर. प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित कार्यों के लिए स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शंकर गिदवानी, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि:–

1. उद्योग परिसर एवं परिसर के बाहर प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में स्टॉम वॉटर की गणना प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वेस्ट वॉटर रिक्यूपरेटर कार्यान्वयन करने से 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत, री–हीटिंग फर्नेस का इन्सुलेशन करने से 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत, री–हीटिंग फर्नेस में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करने से 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत, कोयले का रख–रखाव में सुधार करने से 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक ऊर्जा की कमी आएगी, जिससे कोयले की मात्रा 960 टन प्रतिवर्ष से 800 टन प्रतिवर्ष हो जाएगी।
3. सी.ई.आर. प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्यों के लिए चयनित स्थल में प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में परिसर के स्टॉम वॉटर की गणना तथा उक्त क्षेत्र के वॉटर हार्वेस्टिंग का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. प्रस्तुत लेण्ड एरिया स्टेटमेंट एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के गणना में बताए गये वृक्षारोपण क्षेत्र, खुला क्षेत्र एवं बिल्टअप क्षेत्र में भिन्नता है। साथ ही प्रस्तुत ले–आउट प्लान में वृक्षारोपण क्षेत्र 40 प्रतिशत से कम होना अवलोकित किया

गया। इसी प्रकार वर्तमान में एवं क्षमता विस्तार उपरांत भूमि उपयोगिता यथा निर्मित शेड का क्षेत्रफल, स्टोरेज रूम, हरित पट्टी व अन्य बाबत् स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. उद्योग परिसर एवं परिसर के बाहर प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत गणना (कुल रनऑफ की मात्रा प्रस्तावित व्यवस्था उपरांत हार्वेस्टेड जल की मात्रा आदि) प्रस्तुत की जाए।
2. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के गणना में बताए गये वृक्षारोपण क्षेत्र, खुला क्षेत्र एवं बिल्टअप क्षेत्र में भिन्नता की स्थिति को स्पष्ट की जाए। साथ ही वर्तमान में एवं क्षमता विस्तार उपरांत भूमि उपयोगिता यथा निर्मित शेड का क्षेत्रफल, स्टोरेज रूम, हरित पट्टी (कुल क्षेत्र का 40 प्रतिशत) व अन्य बाबत् स्पष्ट जानकारी को ले–आउट में प्रदर्शित कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्यों के लिए चयनित स्थल में प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में परिसर के स्टॉम वॉटर की गणना तथा उक्त क्षेत्र के वॉटर हार्वेस्टिंग का प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: परियोजना प्रस्तावकों से वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों पर विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स जी.के.सी. प्रोजेक्ट लिमिटेड (इंचार्ज– श्री अंकुश रेड्डी, बेन्दी लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–बेन्द्री, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1462)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 182256 / 2020, दिनांक 06 / 11 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बेन्द्री, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1 / 13, कुल क्षेत्रफल – 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 5,00,167.5 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 347वीं बैठक दिनांक 11 / 11 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–**

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।

3. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

4. यदि खदान पूर्व से संचालित हो, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अंकुश रेड्डी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बेन्द्री का दिनांक 12/06/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म नवा रायपुर अटल नगर, के ज्ञापन क्रमांक 4375/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क. 04/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 31/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/1141/ ख.लि./ तीन–6/ 2020 रायपुर, दिनांक 01/11/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/1148/ ख.लि./ तीन–6/2020 रायपुर, दिनांक 02/11/2020 के अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नाला 50 मीटर दूर स्थित है।

5. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन कमांक/ क/ ख.लि./ तील–6/ उ.प्ल./ 2020/ 1004 रायपुर, दिनांक 12/10/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री मिहिर गांगुली के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी रायपुर वनमण्डल, के ज्ञापन क्रमांक 3759 दिनांक 03/11/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बेन्द्री 2 कि.मी., स्कूल व अस्पताल ग्राम–बेन्द्री 2 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 17,26,500 टन माईनेबल रिजर्व 94,92,670 एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 9,01,805 टन है। लीज की 7. 5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,460 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 24.5 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 35,880 घनमीटर एवं मोटाई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,00,167
द्वितीय	2,50,012
तृतीय	8,895
चतुर्थ	8,895
पंचम	8,895
कुल	**8,87,077**

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छष्ठम	8,895
सप्तम	8,895

अष्टम	8,895
नवम	8,895
दशम	8,895
कुल	**44,475**

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकरों के माध्यम से क्रय कर किया जाना प्रस्तावित है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,365 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1/13 का भाग, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर, क्षमता– 60,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला– रायपुर द्वारा दिनांक 15/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति 2वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन कमांक 1427/ख.लि./तीन–6/2020 रायपुर दिनांक 09/12/2020 के अनुसार विगत वर्षो में 04 खदानों के द्वारा किये गये उत्खनन की जानकारी दी गई है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आवेदित खदान से विगत वर्षो में कितनी मात्रा में उत्खनन किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
1.97	2%	3.95	Following activities at Govt School & Panchayat Bhawan, **Village- Bendri**	
			Solar Pannel (1KV)	2.25
			Rain Water Harvesting System	1.05
			Plantation at Village	0.65
			Total	**3.95**

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भाग उत्खनित है। प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में ऊपरी मिट्टी की मात्रा, जियोलॉजिकल रिजर्व, माईनेबल रिजर्व की गणना व ऊपरी मिट्टी की मात्रा के भंडारण/प्रबंधन हेतु प्रस्ताव का समावेश भी नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त का समावेश करते हुये संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. उपरोक्त बिन्दु 16 में दिये विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. उपरोक्त विवरण अनुसार विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 06/01/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **संशोधित उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड क्वारी प्लान एलॉग विथ इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खनि प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन पृ.क्रमांक 22/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क. 04/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 01/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।
2. प्रस्तुत संशोधित क्वारी प्लान में समिति के पूर्व निर्देश अनुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के उक्त उत्खनित क्षेत्र का विवरण, लंबाई, गहराई संबंधी जानकारी को समाहित नहीं किया गया है और न ही उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में जानकारी दी गई है।
3. ऊपरी मिट्टी की मात्रा 35,880 घनमीटर बताई गई है। संशोधित क्वारी प्लान अनुसार उक्त मिट्टी को एन.एच.ए.आई. प्रोजेक्ट में मिडियन प्लानटेशन के लिए उपयोग किया जाना बताया गया।
4. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी के संबंध में अद्यतन एवं पूर्व में दिये विवरण अनुसार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. समिति के पूर्व निर्देश अनुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के उक्त उत्खनित क्षेत्र का विवरण, लंबाई, गहराई संबंधी जानकारी तथा क्षेत्र के उपचारी

उपायों (Remedial Measures) को समाहित कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में दिये विवरण अनुसार विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (अम्बिका ओपन कास्ट प्रोजेक्ट), ग्राम–करतला, तहसील–पाली, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 470)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/16502/2016, दिनांक 25/06/2016 द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 17/02/2020 को ऑफलाईन में प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित माईनिंग ऑफ कोल परियोजना है। ग्राम–करतला, तहसील–पाली, जिला–कोरबा स्थित कुल क्षेत्रफल–134.192 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। कोल माईन क्षमता–1 मिलियन टन प्रतिवर्ष (नॉर्मेटिव) एवं 1.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष (पीक) है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1067, दिनांक 25/11/2016 द्वारा कोल माईन क्षमता–1 मिलियन टन प्रतिवर्ष (नॉर्मेटिव) एवं 1.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष (पीक) हेतु टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया था, जिसमें एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/11/2019 द्वारा एक वर्ष की वैधता वृद्धि की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. जारी किये गये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
2. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना प्रस्तुत की जाए।
3. कोल के परिवहन की व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
5. वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षों की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाए। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज कुमार प्रसाद, डॉयरेक्टर तकनीकी एवं श्री जी.एस. टोपाजी, महाप्रबंधक (पर्यावरण) उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना से 440 परिवार प्रभावित होगें, जिन्हें क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 213 परिवारों को क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है तथा शेष 227 परिवारों को क्षतिपूर्ति प्रदाय की जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2. **भूमि का विवरण** – कुल एरिया 134.192 हेक्टेयर है, जिसमें टेनेन्सी लैण्ड 132.407 हेक्टेयर एवं शासकीय/अन्य भूमि 1.785 हेक्टेयर है। वन भूमि नहीं है। क्वारी क्षेत्र 89.20 हेक्टेयर, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र 1.76 हेक्टेयर, एक्सटर्नल ओव्हर बर्डन डम्प 25.325 हेक्टेयर एवं सेफ्टी बेल्ट क्षेत्र 17.89 हेक्टेयर है। पोस्ट माईनिंग लेण्ड यूज के अनुसार रि–क्लेम्ड इंटरनल डम्प बैकफिल्ड एरिया 51.72 हेक्टेयर, वाटर बॉडी 37.48 हेक्टेयर, रि–क्लेम्ड एक्सटर्नल ओव्हर बर्डन डम्प क्षेत्र 25.325 हेक्टेयर है। भूमि भारत सरकार के कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के तहत् अधिकृत की गई है।

3. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – समीपस्थ आबादी शहर कोरबा 70 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन गेवरा 30 कि.मी. की दूरी पर है। राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। गंजन नाला 6 कि.मी. दूर है।

4. **माईनेबल कोल रिजर्व** – कुल माईनेबल कोल रिजर्व की मात्रा 7.6 मिलियन टन है। खदान की संभावित आयु 9 वर्ष है, जिसमें एक वर्ष डेव्हलपमेंट कार्य शामिल है। इसके अतिरिक्त 3 वर्ष की माईन क्लोजर प्लान प्रस्तावित की गई है।

5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया हैं।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – उत्खनन सरफेस माईनिंग एवं वेट ड्रिलिंग पद्धति से की जाएगी। फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – खदान से उत्पन्न ओव्हर बर्डन डम्प का कुल एरिया 51.72 हेक्टेयर प्रस्तावित है। कुल उत्पन्न ओव्हर बर्डन की मात्रा 24 मिलियन घनमीटर होगी। फ्लाई ऐश अधिसूचना 2009 के पालन में 3 घनमीटर के साथ 1 घनमीटर फ्लाई ऐश को मिलाकर बैक फिलिंग किया जाना प्रस्तावित है, जिससे लगभग 2 मिलियन टन फ्लाई ऐश का अपवहन होगा।

8. **कोल परिवहन की व्यवस्था** – वर्तमान में कोल का परिवहन सड़क मार्ग से किया जाएगा। प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम रेल क्वारीडोर के अंतर्गत अम्बिका एवं

करताली रेलवे साईडिंग की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। उक्त रेलवे साईडिंग के निर्माण उपरांत कोल का परिवहन रेलमार्ग से किया जाएगा।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 225 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी। जल का उपयोग माईन पिट वॉटर से किया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – माईन डिस्चार्ज वाटर के उपचार हेतु माईन सम्प का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अम्लीय जल उत्पन्न नहीं होना बताया गया है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

10. **वृक्षारोपण कार्य** – कुल क्षेत्रफल 17.89 हेक्टेयर में लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 45,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

11. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**:–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अप्रैल, 2017 से जून, 2017 (Summer season) में किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 6 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 3 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 10 से 86 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 42 से 98 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 6.87 से 22.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 17.8 से 37 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48.1 डीबीए से 49.2 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 39.8 डीबीए से 40.9 डीबीए पाया गया।

12. लोक सुनवाई दिनांक 11/10/2019 दोपहर 11:00 बजे स्थान पूर्व माध्यमिक शाला, आदिम जाति कल्याण, करतली, विकासखण्ड–पाली, तहसील–पाली, जिला–कोरबा में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 19/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

13. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं**:–

i. मेसर्स अंबिका ओपन कास्ट कोल माईन्स खुलने से प्रभावितों को नौकरी पुनर्वास एवं अन्य सुविधाओं का पूर्ण विवरण देवें। तथा प्राथमिकता से पात्र लोगों को नौकरी शीघ्र देवें।

ii. पांचवी अनुसूची में कोरबा क्षेत्र आता है, यहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों पर प्रदत्त अधिकारों के तहत विरोध करते है।

iii. माईन खोले जाने से लगभग 05–06 लाख राजकीय वृक्ष की कटाई किये जाने की आवश्यकता है, जिससे पर्यावरण पूरी तरह से प्रभावित होगा।

iv. माईन के खुलने से 25 से 30 किलोमीटर की परिधि तक प्रभावित कृषकों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

v. माईन के चारों ओर छोटे बड़े नदी, नाले है, जिनमें निरन्तर बहाव होने के कारण जल स्तर काफी अच्छी स्थिति में रहता है, जो कि अधिकांश प्रभावित किसानों की पेयजल की एकमात्र सुविधा है। खदान खुलने से कृषकों को सिंचाई एवं अपने जिविकोंपार्जन की विकट समस्या से गुजरना पड़ेगा, जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:–

i. अंबिका ओपन कास्ट परियोजना हेतु अधिग्रहित निजी भूमि के एवज में 155 रोजगार कोल इंडिया के दिशा निर्देश के अनुरूप एवं डी.आर.आर.सी. द्वारा अनुमोदित है, इसके अतिरिक्त प्रभावित भू–स्वामियों जो रोजगार की पात्रता नहीं रखते है, उन्हे प्रति एकड़ 05 लाख रूपये की दर से वित्तिय सहायता प्रदान की जायेगी। जो कि न्यूनतम 50 हजार रूपये होगी।

ii. खदान क्षेत्र को कोयला धारक (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अर्जन किया गया है। देश में कोयले की मांग एवं पूर्ति के अंतर को देखते हुए यह आवश्यक है कि यह परियोजना प्रारंभ की जावे।

iii. प्रस्तावित परियोजना हेतु कुल 10,583 वृक्ष की कटाई किया जाना प्रस्तावित है, इसके एवज में वन विभाग राज्य सरकार द्वारा अन्य वन भूमि में वृक्षारोपण किया जावेगा, इसके अलावा परियोजना द्वारा आगामी वर्षों में डम्प क्षेत्र पर वृहद वृक्षारोपण कराया जायेगा।

iv. खदान क्षेत्र की 10 किलोमीटर परिधि में आने वाले क्षेत्र में पर्यावरण व जन जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के आंकलन एवं उचित उपायों एवं समाधानों हेतु तकनीकी अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाई गयी है, जिसका पालन परियोजना प्रबंधन द्वारा किया जायेगा।

v. परियोजना प्रारंभ होने से निकट क्षेत्र से गुजरने वाले छोटे बड़े नदी नालों पर प्रतिकुल प्रभावों को कम करने हेतु आवश्यक उपाय किये जायेंगें। खदान से उत्पन्न जल को सेटलिंग टैंक व फिल्टर प्लांट के माध्यम से उपचार पश्चात् निकट ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं सिचाई हेतु आपूर्ति की जायेगी। इसके अतिरिक्त खदान सम्प में एकत्रित वर्षा जल भण्डार खदान से खनन कार्य समाप्ति पश्चात् निकट ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई कार्य हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा।

14. मॉनिटरिंग कार्य केवल 6 स्थानों पर 3 किलोमीटर की परिधि में किया गया है, जबकि मॉनिटरिंग 10 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 8 स्थानों पर किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार अनुमानित अधिकतम ग्राउण्ड लेवेल कंसंट्रेशन ध्वनि प्रदूषण की गणना में परिवहन से होने वाले प्रभाव का अंकलन नहीं किया गया है।

15. माईन वॉटर की मात्रा एवं इसके उपचार हेतु प्रस्तावित माईन सम्प की क्षमता का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी प्रकार घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता एवं विभिन्न यूनिट्स का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपचारित माईन वॉटर का निस्सारण समीपस्थ नाले में किया

जाना बताया गया है। लीज क्षेत्र के बगल से नाला प्रवाहित होना बताया गया है तथा गंजन नाला 6 कि.मी. दूर है। उपचारित माईन वॉटर का निस्सारण किये जाने से नाले की जल की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव नहीं होने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

16. फ्लाई ऐश का अपवहन केवल बैक फिलिंग में किया जाना बताया गया है, जबकि फ्लाई ऐश अधिसूचना 2009 के अनुसार फ्लाई ऐश का अपवहन एक्सटर्नल ओव्हर बर्डन डम्प के साथ भी किया जाना आवश्यक है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भूमि भारत सरकार के कोयला धारक (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अर्जन की गई है। अतः भूमि हेतु PESA Act, 1996 के तहत् अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

18. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. 10 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 3 अतिरिक्त स्थानों (02 प्रीडोमिनेटिंग विन्ड एवं 01 लीवर्ड दिशा में) पर 3 सप्ताह की अतिरिक्त मॉनिटरिंग की जाए तथा तदनुसार आंकलन किया जाए। इसी प्रकार 3 स्थानों पर ध्वनि एवं जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग तथा तदनुसार आंकलन किया जाए। साथ ही परिवहन से परिवेशीय वायु एवं ध्वनि गुणवत्ता का अध्ययन कर गणना प्रस्तुत की जाए।

2. लीज क्षेत्र के समीप प्रवाहित समस्त फर्स्ट ऑर्डर ड्रेन्स (First order drain) पर उपचारित माईन वॉटर का निस्सारण किये जाने से जल की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव नहीं होने के संबंध अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

3. माईन वॉटर की मात्रा, उपचार हेतु प्रस्तावित व्यवस्था, घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता एवं विभिन्न यूनिट्स का विवरण प्रस्तुत किया जाए।

4. फ्लाई ऐश अधिसूचना 2009 के अनुसार फ्लाई ऐश का अपवहन एक्सटर्नल ओव्हर बर्डन डम्प के साथ किये जाने का तकनीकी अध्ययन एवं प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. लीज क्षेत्र में अवस्थित 10,583 नग वृक्षों की कटाई किये जाने हेतु क्षतिपुर्ति के तहत् लीज क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. भूमि भारत सरकार के कोयला धारक (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अर्जन किये जाने पर भूमि हेतु PESA Act, 1996 के तहत् अनुमति की आवश्यकता नहीं होने के संबंध में शासन द्वारा जारी आदेश/निर्देश की प्रति प्रस्तुत की जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 25/06/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 25/08/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02/09/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी, स्थल निरीक्षण के उपरांत सी. ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ए.एस.बापत, महाप्रबंधक (पर्यावरण) एवं श्री आई.डी. नारायण उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. 10 किलोमीटर की परिधि में 3 अतिरिक्त स्थानों पर 3 सप्ताह की (01 जून, 2020 से) अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई है। इसी प्रकार 3 स्थानों पर ध्वनि एवं जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग तथा तदनुसार आंकलन किया गया है। साथ ही परिवहन से परिवेशीय वायु एवं ध्वनि गुणवत्ता का अध्ययन कर गणना प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार:–

   पी.एम.$_{2.5}$ 22 से 40 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 62 से 85 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 14 से 26 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 15 से 26 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 40 डीबीए से 40.8 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 38.7 डीबीए से 39.6 डीबीए पाया गया।

2. लीज क्षेत्र के समीप प्रवाहित समस्त (दो) फर्स्ट ऑर्डर ड्रेन्स (First order drain) पर उपचारित माईन वॉटर का निस्सारण से जल की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव नहीं होने के संबंध अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

3. माईन वॉटर की मात्रा, उपचार हेतु प्रस्तावित व्यवस्था, घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता एवं विभिन्न यूनिट्स का विवरण प्रस्तुत किया किया गया है। जिसके अनुसार माईन वॉटर की मात्रा – 818 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसमे से परियोजना (डस्ट सप्रेशन एवं वृक्षारोपण) हेतु 210 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी। शेष निस्तारित जल की मात्रा – 608 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जिसके उपचार हेतु सेटलिंग टैंक का निर्माण प्रस्तावित है एवं इसका उपयोग खदान की सीमा से लगे हुए गावों में सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। कॉलोनी से जनित घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु घरेलू दूषित जल उपचार संयंत्र क्षमता – 25 घनमीटर प्रतिदिन एवं ऑफिस कार्यालय से जनित दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

4. फ्लाई ऐश अधिसूचना, 2009 के अनुसार फ्लाई ऐश का अपवहन एक्सटर्नल ओव्हर बर्डन डम्प के साथ किया जाना प्रस्तावित है। उक्त हेतु तकनीकी अध्ययन खदान प्रारम्भ होने के पश्चात् कराया जाना प्रस्तावित है। उत्खनन प्रारंभ होने पर जनित ओवर बर्डन में तकनीकी अध्ययन के अनुरूप फ्लाई ऐश मिलाकर अपवहन किया जायेगा। कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा दिनांक 17/04/2020 को जारी गाईडलाईन "ऑफरिंग माईन व्हाइड्स फॉर फ्लाई ऐश डिस्पोजल" का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5. लीज क्षेत्र में अवस्थित 10,583 नग वृक्षों की कटाई किये जाने हेतु क्षतिपुर्ति के तहत् लीज क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण के संबंध में बताया गया है कि वनमंडलाधिकारी, कटघोरा से वृक्षारोपण बाबत् भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है, स्थल चयन उपरांत वन विभाग के परामर्श अनुसार वन विकास निगम के माध्यम से 1,00,000 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है।

6. भारत सरकार के कोयला धारक (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अर्जन किये जाने पर भूमि हेतु PESA Act, 1996 के तहत् अनुमति की आवश्यकता नहीं होने बाबत् लिगल ओपिनियन प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है।

7. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् रूपये 2.5 करोड़ की राशि प्रस्तावित होना बताया गया है। उक्त राशि के व्यय हेतु उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि खदान प्रबंधन द्वारा पूर्व में मॉनिटरिंग कार्य अप्रैल, 2017 से जून, 2017 (Summer season) में किया गया था एवं तीन स्थलों पर 3 सप्ताह (जून, 2020) की अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में मानसून की अवधि सामान्यतः 10 जून से 15 अक्टूबर तक होती है। तीन स्थलों पर अतिरिक्त मॉनिटरिंग मानसून के दौरान किया गया है। अतः प्राप्त परिणाम प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। मॉनिटरिंग का कार्य गैर मानसून मौसम में किया जाना आवश्यक है। अतः पूर्व चयनित 06 स्थलों एवं अतिरिक्त 03 स्थलों को शामिल करते हुये सभी 9 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एम्बिएंट एयर की मॉनिटरिंग 1 माह की अवधि हेतु किया जाए।

2. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से स्थानीय निवासियों द्वारा आस पास के गावों में पेयजल की समस्या होना बताया गया है। अतः आस–पास के जिन गावों में पेयजल की समस्या हो अथवा संभावित हो, उन स्थानों को चिन्हाकिंत कर पेयजल की उपयुक्त व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना स्थल से 25 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र में आने वाले शासकीय संस्थानों (स्कूलों, कॉलेजों, छात्रावासों/स्वास्थ्य केन्द्रों) में आवश्यकता पर आधारित सर्वे कर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण तथा इस्टिमेट) सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् व्यय किये जाने का समयबद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/11/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 13/01/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. पूर्व चयनित 06 स्थलों एवं अतिरिक्त 03 स्थलों को शामिल करते हुये सभी 9 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर दिनांक 16/10/2020 से 16/11/2020 तक एम्बिएंट एयर की मॉनिटरिंग की गई है, जिसके अनुसारः–

   पी.एम.$_{2.5}$ 26.1 से 45.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 60.1 से 97.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 10.1 से 24.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{\text{एक्स}}$ 17.4 से 36.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है।

2. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से ग्राम–करतली एवं भद्रपारा के स्थानीय निवासियों द्वारा गावों में पेयजल की समस्या का मुद्दा उठाया गया था। यह दोनों गांव खदान के कोर जोन में स्थित है जिसका भू–अधिग्रहण कर पुनःविस्थापन किया जाना प्रस्तावित है। उद्योग द्वारा सर्वे के दौरान पाया गया कि गांवों में बोरवेल, हैंड पम्प आदि के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। आवश्यकतानुसार इसका सुदृढीकरण किया जाएगा तथा परियोजना प्रारंभ होने के पश्चात् माईन वॉटर युटिलाईजेशन कार्यक्रम अंतर्गत आस–पास के गांवों में उचित व्यवस्था की जाएगी।

3. परियोजना स्थल से 25 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र में आने वाले शासकीय संस्थानों हेतु सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स पी.आर.ए. ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज (प्रो.– श्रीमती सोनम गोयल, करकोटी ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स्ड चिमनी ब्रिक प्लांट), ग्राम–करकोटी, तहसील–भैयाथान, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 926)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40077/2019, दिनांक 27/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित गौण खनिज उत्खनन खदान एवं ईंट उत्पादन इकाई है। ग्राम–करकोटी, तहसील–भैयाथान, जिला–सूरजपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा

क्रमांक 468, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित गौण खनिज उत्खनन क्षमता – 893.53 घनमीटर प्रतिवर्ष (ईंट उत्पादन 8,50,250 नग प्रतिवर्ष) है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज उत्खनन खदान एवं ईंट उत्पादन इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत करकोटी का दिनांक 19/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1308/खनिज/2018 सूरजपुर, दिनांक 10/09/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 321/खनिज/2019 सूरजपुर, दिनांक 18/02/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निंरक है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1200/खनिज /ई–निविदा–करकोटी /2018 सूरजपुर, दिनांक 04/08/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/08/2019 को सूचना दी गई कि अपरिहार्य कारणों से उनका समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. लीज सीमा से गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु सक्षम अधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 17/09/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 09/10/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/11/2019 द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आज दिनांक तक वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ई) समिति की 337वीं बैठक दिनांक 01/09/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 22/08/2019, 18/09/2019, 10/10/2019 एवं 04/07/2020 के बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया था। परंतु परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहे है। अतः परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(उ) समिति की 340वीं बैठक दिनांक 06/10/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भोलेनाथ अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनके द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वांछित संशोधित माईनिंग प्लान तैयार नहीं होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/11/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 23/01/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ऊ) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी, वनपरिक्षेत्र सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/1353/2020 सूरजपुर, दिनांक 18/09/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी 3 कि.मी., लीज सीमा से तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य की वास्तविक दूरी 70 कि.मी. एवं लीज सीमा से गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी 75 कि.मी. है।
2. **एल.ओ.आई. का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 25/2019 विरूद्ध कलेक्टर, जिला–सूरजपुर के परिपेक्ष्य में

न्यायालय संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 3785/खनि–2/न.क्र.25/2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/08/2020 द्वारा जारी पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त में "विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, जिला कार्यालय (खनिज शाखा), सूरजपुर के पत्र दिनांक 04/08/2018 द्वारा जारी आशय पत्र में निहित शर्तों का पालन (पर्यावरण स्वीकृति प्रस्तुत) पुनरीक्षणकर्ता मेसर्स पी.आर. ए. ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज, प्रो.– श्रीमती सोनम गोयल, निवासी–भैयाथान द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6–42/2012/12, दिनांक 26/06/2020 के परिपेक्ष्य में उक्त प्रकरण में नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला सूरजपुर को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" के लिए आदेश जारी किया गया है।

3. **संशोधित उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड क्वारी प्लान एलांगविथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन पृ. क्रमांक /89/खनिज/खलि.2/2021, कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी 15 दिवस उपरांत आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री रितेश जैन), ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 970)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43866/2019, दिनांक 12/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 11/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 116/3, कुल क्षेत्रफल–0.76 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 05/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रितेश जैन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 05/02/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/03/2020 द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आज दिनांक तक वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रितेश जैन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीहकला का दिनांक 09/09/2002 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (विथ इन्व्हायरोमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2016/2771 रायपुर, दिनांक 04/01/2017 द्वारा अनुमोदित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में क्वारी प्लान श्री अमित अग्रवाल के नाम पर है। जिसका हस्तांतरण श्री रितेश जैन के नाम पर किये जाने हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –**

   i. खनि निरीक्षक, जिला–राजनांदगांव द्वारा कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव को प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार 500 मीटर के भीतर

अवस्थित अन्य 6 खदानें, कुल क्षेत्रफल 4.51 हेक्टेयर होना बताया गया। तत्पश्चात् कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 865/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 20/05/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 3.34 हेक्टेयर है।

ii. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र में श्री नितिश अग्रवाल, खसरा क्रमांक 105 एवं श्री आर.पी. अग्रवाल, खसरा क्रमांक 113 खदानों का उल्लेख नहीं है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 865/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 20/05/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 3.34 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहॉ तक शामिल किया जाए, जहॉ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2563/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 18/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – भूमि श्री रितेश जैन के नाम पर है। पूर्व में लीज श्री अमित अग्रवाल के नाम पर है, लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 24/10/2002 से 23/10/2012 तक की अवधि हेतु थी। लीज का नवीनीकरण दिनांक 24/10/2012 से 23/10/2017 तक की अवधि हेतु किया गया था। तत्पश्चात् लीज का हस्तांतरण दिनांक 18/08/2017 को श्री रितेश जैन के नाम पर किया गया, जो दिनांक 23/10/2032 तक की अवधि हेतु वैध है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2016 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्र.

10–2/2019/13194 राजनांदगांव, दिनांक 24/12/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 9 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ठेल्काडीह 1.3 कि.मी, स्कूल ठेल्काडीह 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–ठेल्काडीह 1.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.4 कि.मी. दूर है। तालाब 1 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,28,000 टन, माईनेबल रिजर्व 1,98,175 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,62,857 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.24 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,000	3	6,000	15,000
द्वितीय	2,000	3	6,000	15,000
तृतीय	2,000	3	6,000	15,000
चतुर्थ	2,000	3	6,000	15,000
पंचम	2,000	3	6,000	15,000

आगामी वर्षो का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छटवे	2,000	3	6,000	15,000
सातवे	2,000	3	6,000	15,000
आठवे	2,000	3	6,000	15,000
नौवे	2,000	3	6,000	15,000
दसवे	2,000	3	6,000	15,000

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 600 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भागों में उत्खनन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र को 6 माह के भीतर पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

14. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 116/3, कुल क्षेत्रफल – 0.76 हेक्टेयर, क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1169/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 04/07/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्पादन (टन)	वर्ष	उत्पादन (टन)
2002	–	2011	4,597
2003	3,950	2012	1,060
2004	2,350	2013	1,030
2005	2,150	2014	4,057
2006	3,090	2015	9,558
2007	5,030	2016	3,000
2008	4,300	2017	9,410
2009	810	2018	10,570
2010	1,085	2019	2,665

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
20	2%	0.40	Following activities at Govt. Primary School, **Village– Dumardihkala / Semra Dalhan**	
			Rain Water Harvesting System	0.30
			Plantation	0.10
			Total	**0.40**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक के नाम पर करते हुये 7.5 मीटर सेफ्टी जोन के कुछ भागों में किये गये उत्खनन का विवरण एवं इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) का समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।
2. लीज की वैधता अवधि वृद्धि के संबंध में प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र में श्री नितिश अग्रवाल, खसरा क्रमांक 105 एवं श्री आर.पी. अग्रवाल, खसरा क्रमांक 113 खदानों का उल्लेख नहीं होने के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुये माईनिंग विभाग से क्लस्टर क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया जाए।
4. जल की आपूर्ति बोरवेल से किया जाना बताया गया है। सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 27/01/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान तैयार किया जाना प्रक्रियाधीन है।
2. लीज की वैधता अवधि वृद्धि के संबंध में प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. गाईडलाईन के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक है। अतः आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
4. खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति बंद खदान के गढ्ढे के माध्यम से की जाएगी। अतः ग्राउण्ड वाटर उपयोग नहीं किया जाएगा।
5. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit certificate regarding cluster formation within 500 meter radius from the mine, from the concerned department.

iii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit revised approved mining plan incorporating all blocked reserves in calculations & mined out quantity.

v. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

vi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

vii. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

viii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स श्री विमल शर्मा (कुरूसकेरा सेण्ड माईन, ग्राम–कुरूसकेरा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद), राजीव लोचन चौक, राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1400)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 174316/2020, दिनांक 20/09/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कुरूसकेरा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन पैरी नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 344वीं बैठक दिनांक 05/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विमल शर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुरूसकेरा का दिनांक 16/04/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक /खनि02/रेत/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2020 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 344/खनि/न.क्र./2018 गरियाबंद, दिनांक 11/06/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 342/खनि/न.क्र./2018 गरियाबंद, दिनांक 11/06/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज डीड का विवरण** – लीज श्री विमल शर्मा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 806/ख.लि./2019 गरियाबंद, दिनांक 23/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कुरूसकेरा 1 कि.मी, स्कूल ग्राम–कुरूसकेरा 1 कि.मी. एवं अस्पताल राजिम 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 896 मीटर, न्यूनतम 785 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – औसत 360 मीटर एवं चौड़ाई – औसत 153 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी 150 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,00,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.6 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

    i. पूर्व में सचिव, ग्राम पंचायत कुरूसकेरा के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 01, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता– 25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28/09/2019 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

    ii. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/12/2019 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कुरूसकेरा को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री विमल शर्मा के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।

    iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

    iv. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त अनुसार पोस्ट–मानसून (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) में एवं प्री–मानसून (माह मई अंत) में रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन कर, सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी, जो कि प्रस्तुत नहीं की गई है।

    v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 1238/ख.लि./न.क्र./2020 गरियाबंद, दिनांक 03/11/2020 के अनुसार वर्ष 2019–20 में 11,300 घनमीटर एवं वर्ष 2020–21 में 11,600 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

    vi. निर्धारित शर्तानुसार 1,000 नग वृक्षारोपण किया गया है।

    vii. सी.ई.आर. के तहत् रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य शासकीय मिडिल स्कूल ग्राम–कुरूसकेरा में किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 07/10/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
79.75	2%	1.60	Following activities at Nearby Government Primary School & Gram Panchay at Bhawan **Village-Kuruskera** and Government High School **Village-Sursbandha**	
			Rain Water Harvesting System	1.09
			Plantation	0.53
			Total	**1.62**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त अनुसार मानसून के बाद (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) एवं प्री–मानसून (मई 2020) में रेत सतह के लेवल्स (Levels) की सर्वे रिपोर्ट पंचनामा सहित प्रस्तुत की जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/12/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 28/01/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु 40 मीटर गुणा 40 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर प्री–मानसून डाटा दिनांक 01/06/2019, पोस्ट–मानसून डाटा दिनांक 14/11/2019 एवं प्री–मानसून डाटा दिनांक 05/06/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। पैरी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित खदान (ग्राम–कुरूसकेरा) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे – 750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 750 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री विमल शर्मा, कुरूसकेरा सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 01, ग्राम–कुरूसकेरा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी

वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स श्री गिरीश देवांगन (सेमरा बी सेण्ड माईन, ग्राम–सेमरा (बी), तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी), ग्राम–चर्रा, तहसील–कुरुद, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1366)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 165951/2020, दिनांक 27/08/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/08/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 30/09/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–सेमरा (बी), तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में है। उत्खनन खारून नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–19,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 344वीं बैठक दिनांक 05/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 05/11/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण होने के कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः दिनांक 06/11/2020 के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को अमान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गिरीश देवांगन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेमरा(बी) का दिनांक 09/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 308/ खनिज/ उत्ख.यो.अनु./ रेत/ 2020–21 कांकेर, दिनांक 07/07/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1018/खनि/न.क्र./2020 धमतरी, दिनांक 01/07/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1087/खनिज/न.क्र. /2020 धमतरी, दिनांक 23/07/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री गिरीश देवागंन के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 198/खनिज/निविदा/2020 धमतरी, दिनांक 04/02/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु सक्षम प्राधिकारी (खनिज विभाग) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वैध एल.ओ.आई. की प्रति शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सेमरा 1 कि.मी, स्कूल ग्राम–सेमरा 1 कि.मी. एवं अस्पताल कुरूद 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 13 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 200 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम एवं एनीकट 200 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में स्थित है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 224 मीटर, न्यूनतम 99 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 726 मीटर एवं औसत चौड़ाई – 52 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से

दूरी 15 मीटर है। प्रस्तावित खनन क्षेत्र की वास्तविक लंबाई एवं चौड़ाई (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) की प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 19,800 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

    i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत सेमरा(बी) के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 01, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता– 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–धमतरी द्वारा दिनांक 07/03/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

    iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1498/खनिज/उत्ख.मात्रा/2020 धमतरी, दिनांक 15/09/2020 के अनुसार वर्ष 2018–19 में 6,340 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

    iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 07/10/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **गैर माईनिंग क्षेत्र –**

    i. नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 224 मीटर, न्यूनतम 99 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी 15 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत = 25 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 6,000 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

    ii. पुल खदान से 200 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम एवं एनीकट 200 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार पुल/एनीकट अपस्ट्रीम/ डाउनस्ट्रीम में स्थित होने के कारण खदान से पुल की दूरी कम से कम 500 मीटर एवं 250 मीटर होना आवश्यक है। अतः पुल की तरफ से खदान से 300 मीटर एवं एनीकट की तरफ से खदान से 50 मीटर लंबाई

का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान अनुसार 14,200 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

iii. उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान में कुल गैर माईनिंग क्षेत्र 20,200 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 1.98 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

15. माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश/ देशांश (Latitude/ Longitude) एवं माईनिंग प्लान में दर्शित लीज क्षेत्र में भिन्नता है। उक्त भिन्नता के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश/ देशांश (Latitude/ Longitude) एवं माईनिंग प्लान में दर्शित लीज क्षेत्र में भिन्नता के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुये जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की वास्तविक लंबाई एवं चौड़ाई (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) की प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 28/01/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. एल.ओ.आई. संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 4359/खनि02/रेत(रूल7)/न.क्र. 38/1996 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31/10/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
2. माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश/ देशांश (Latitude/ Longitude) एवं माईनिंग प्लान में दर्शित लीज क्षेत्र में भिन्नता के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुये जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 212 मीटर, न्यूनतम 88 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 720 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 76 मीटर, न्यूनतम 33 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 38 मीटर, न्यूनतम 22 मीटर है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश / देशांश (Latitude/ Longitude) एवं माईनिंग प्लान में दर्शित लीज क्षेत्र में भिन्नता के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुये जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स श्री अरुण कुमार गुप्ता (अरौद सेण्ड माईन, ग्राम–अरौद, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी), क्रिदत्त कॉलोनी महात्मा गांधी वार्ड, गोकुलपुर, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1411)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 176545/2020, दिनांक 30/09/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–अरौद, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.95 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–91,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

8. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 344वीं बैठक दिनांक 05/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 05/11/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण होने के कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः दिनांक 06/11/2020 के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को अमान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अरुण कुमार गुप्ता, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अरौद(ली) का दिनांक 08/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 653/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2020–21 कांकेर, दिनांक 21/09/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 442/खनि/न.क्र./2020 धमतरी, दिनांक 12/06/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1484/खनिज/स्थल/2020 धमतरी, दिनांक 11/09/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज डीड का विवरण** – लीज श्री अरूण कुमार गुप्ता के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन दिनांक 17/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अरौद(ली) 1 कि.मी, स्कूल ग्राम–अरौद(ली) 1 कि.मी. एवं अस्पताल धमतरी 16 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 641 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 258 मीटर एवं चौड़ाई – 189 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 70 मीटर, न्यूनतम 25 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 99,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह

की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.64 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:—**

i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत अरौद(ली) के नाम से रेत खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, क्षेत्रफल 4.95 हेक्टेयर, क्षमता—49,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 11/09/2019 को जारी की गई। यह स्वीकृति 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/12/2019 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत अरौद(ली) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री अरूण कुमार गुप्ता के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।

iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। शर्तानुसार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) वर्ष 2019—20 एवं रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व में निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर लिए गये रेत सतह के लेवल्स (Levels) को ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1774/खनिज/उत्पा.रि./2020 धमतरी, दिनांक 04/11/2020 के अनुसार विगत वर्षो किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2019—20	22,765
2020—21	13,176

v. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** — रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 04/09/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25.85	2%	0.51	Following activities at Nearby Government School **Village- Araud(li)**	

			Rain Water Harvesting System	0.35
			Potable Drinking water Facility	0.05
			Running water facility for Toilets	0.15
			Total	**0.55**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) वर्ष 2019–20 एवं रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) वर्ष 2020 में निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर लिए गये रेत सतह के लेवल्स (Levels) को ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। साथ ही उक्त सर्वे के आधार पर रेत पुनःभराव की पुष्टि हेतु तुलनात्मक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की वास्तविक लंबाई एवं चौड़ाई (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) की प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 28/01/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु 40 मीटर गुणा 40 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर प्री–मानसून डाटा दिनांक 11/06/2019, पोस्ट–मानसून डाटा दिनांक 13/11/2019 एवं प्री–मानसून डाटा दिनांक 28/05/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 641 मीटर, न्यूनतम 588 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 258 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 194 मीटर, न्यूनतम 184 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 76 मीटर, न्यूनतम 40 मीटर है।
3. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 641 मीटर, न्यूनतम 588 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी अधिकतम 76 मीटर, न्यूनतम 40 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत = 65 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 4,000 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 4.55 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित खदान (ग्राम–अरौद) का रकबा 4.95 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,500 नग पौधे – 1,250 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,250 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री अरुण कुमार गुप्ता, अरौद सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 01, ग्राम–अरौद, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी, कुल लीज क्षेत्रफल 4.95 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 4,000 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.55 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की

गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 68,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स अमित एजेंसी, प्रो.– श्री आशीष अग्रवाल (पुरनापानी सेण्ड माईन, ग्राम–पुरनापानी, तहसील–देवभोग, जिला–गरियाबंद), अर्जुन इनक्लेव, भैरव नगर, गोकुल नगर रोड, संतोषी नगर, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1395)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 173467/2020, दिनांक 16/09/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 16/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–पुरनापानी, तहसील–देवभोग, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल – 4.1 हेक्टेयर में है। उत्खनन तेल नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 67,132 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में

आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

8. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पुरनापानी का दिनांक 25/05/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन पृ. क्रमांक 3945/खनि02/सा.रेत अनु./न.क्र.19/2020 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक/561/खनि/न.क्र/2018 गरियाबंद, दिनांक 07/08/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 1006/खनि/रेत/न.क्र/2020 गरियाबंद, दिनांक 07/09/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज डीड का विवरण** – लीज अमित एजेंसी के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पुरनापानी 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–पुरनापानी 1 कि.मी. एवं अस्पताल देवभोग 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 438 मीटर, न्यूनतम 426 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 224 मीटर एवं चौड़ाई – 183 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 22 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है।

अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 67,132 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.57 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत पुरनापानी के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 01, क्षेत्रफल 4.1 हेक्टेयर, क्षमता– 20,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28/09/2019 को जारी की गई। यह स्वीकृति 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

ii. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/11/2019 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत पुरनापानी को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री आशीष अग्रवाल के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।

iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। शर्तानुसार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) वर्ष 2019–20 एवं रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व में निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर लिए गये रेत सतह के लेवल्स (स्मअमसे) को ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 1239/ख.लि./न.क्र./2020 गरियाबंद, दिनांक 03/11/2020 के अनुसार विगत वर्ष किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2019–20	5,100
2020–21	4,200

v. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 07/10/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh

				Rupees)
17.96	2%	0.35	Following activities at Nearby Government Primary School **Village- Purnapani**	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Running water facility for Toilets	0.15
			Total	**0.50**

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 438 मीटर, न्यूनतम 426 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी अधिकतम 22 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत = 45 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 7,434 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 3.35 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) वर्ष 2019–20 एवं रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) वर्ष 2020 में निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर लिए गये रेत सतह के लेवल्स (Levels) को ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। साथ ही उक्त सर्वे के आधार पर रेत पुनःभराव की पुष्टि हेतु तुलनात्मक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की वास्तविक लंबाई एवं चौड़ाई (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) की प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 28/01/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु 40 मीटर गुणा 40 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर प्री–मानसून डाटा दिनांक 01/06/2019, पोस्ट–मानसून डाटा दिनांक 14/10/2019 एवं प्री–मानसून डाटा दिनांक 03/06/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 438 मीटर, न्यूनतम 426 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 224 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 185 मीटर, न्यूनतम 182 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 45 मीटर, न्यूनतम 45 मीटर है।

3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। तेल नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–पुरनापानी) का रकबा 4.1 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,200 नग पौधे – 1,100 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,100 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री आशीष अग्रवाल, पुरनापानी सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 01, ग्राम–पुरनापानी, तहसील–देवभोग, जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्रफल 4.1 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 7,434 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.35 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 33,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु **परिशिष्ट–04** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स श्री चन्द्रमणी सोनी (पितईबंद सेण्ड माईन, ग्राम–पितईबंद, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद), सेक्टर–11, जोन 1 खुर्शीपार, भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1394)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 173456/2020, दिनांक 16/09/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 16/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–पितईबंद, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल – 4.9 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 63,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर

प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

8. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मुकेश कुमार मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पितईबंद का दिनांक 10/03/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन पृ. क्रमांक 3951/खनि02/सा.रेत अनु./न.क्र.19/2020 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक/401/खनि/न.क्र/2018 गरियाबंद, दिनांक 19/06/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/06/2018 को जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि वर्तमान में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य रेत खदान अवस्थित है अथवा नहीं? यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 1009/खनि/रेत/न.क्र/2020 गरियाबंद, दिनांक 07/09/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज डीड का विवरण** – लीज श्री चन्द्रमणी सोनी के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 823/खनि/रेत नीलामी/2019 गरियाबंद, दिनांक 23/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./5277 गरियाबंद, दिनांक 01/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार लीज सीमा से वन क्षेत्र की दूरी 10 कि.मी. है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पितईबंद 4 कि.मी., स्कूल ग्राम–पितईबंद 1 कि.मी. एवं अस्पताल राजिम 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 1,134 मीटर, न्यूनतम 1,072 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 247 मीटर एवं चौड़ाई – 196 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 30 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 63,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.72 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत पितईबंद के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 01, क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर, क्षमता– 49,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28/09/2019 को जारी की गई। यह स्वीकृति 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

ii. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/12/2019 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत पितईबंद को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री चन्द्रमणी सोनी के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।

iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। शर्तानुसार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) वर्ष 2019–20 एवं रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व में निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर लिए गये रेत सतह के लेवल्स (Levels) को ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 1335/ख.लि./न.क्र./2020 गरियाबंद, दिनांक 05/12/2020 के अनुसार विगत वर्ष किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018–19	निरंक
2019–20	8,000
2020–21	2,000

v. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

vi. शर्तानुसार कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य नहीं किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 07/10/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
92.93	2%	1.85	Following activities at Nearby Government Primary & Middle School **Village- Pitalband**	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Solar Panel System	0.70
			Potable Drinking water Facility	0.15
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation	0.11
			Total	**1.86**

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 1,134 मीटर, न्यूनतम 1,072 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी अधिकतम 30 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत = 120 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 17,500 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 3.15 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी की अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) वर्ष 2019–20 एवं रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम

सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) वर्ष 2020 में निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर लिए गये रेत सतह के लेवल्स (Levels) को ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। साथ ही उक्त सर्वे के आधार पर रेत पुनःभराव की पुष्टि हेतु तुलनात्मक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए।

3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की वास्तविक लंबाई एवं चौड़ाई (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) की प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तानुसार कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य पूर्ण करते हुये, विस्तृत कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 28/01/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक/75/खनि/न.क्र/2021 गरियाबंद, दिनांक 25/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों संबंधी प्रमाण पत्र में त्रुटि है।
2. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु 40 मीटर गुणा 40 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर प्री–मानसून डाटा दिनांक 01/06/2019, पोस्ट–मानसून डाटा दिनांक 12/10/2019 एवं प्री–मानसून डाटा दिनांक 25/05/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 1,134 मीटर, न्यूनतम 1,072 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 247 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 197 मीटर, न्यूनतम 195 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 120 मीटर, न्यूनतम 120 मीटर है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तानुसार कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य पूर्ण करते हुये, विस्तृत कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स श्री दिलीप गुप्ता (मेंढारी सेण्ड माईन, ग्राम–मेंढारी, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज), अमरपुर, पेण्ड्रा, बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1429)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 179899/ 2020, दिनांक 22/10/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–मेंढारी, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 1127, कुल क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर में है। उत्खनन ईरिया नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 71,400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार

पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
7. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/01/2021 को जानकारी / दस्तावेज एवं प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

(स) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी 15 दिवस उपरांत आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स श्री जय अम्बे ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज मारगांव–2 आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्री मनोज कुमार जैन), ग्राम–मारगांव, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1293)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 152476/2020, दिनांक 04/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 30/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मारगांव, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 442, कुल क्षेत्रफल–3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–14,400 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/01/2021 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

(स) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी 15 दिवस उपरांत आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स श्री जय अम्बे ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज मारगांव आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्री मनोज कुमार जैन), ग्राम–मारगांव, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1290)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 152430/2020, दिनांक 02/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 30/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मारगांव, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 442, कुल क्षेत्रफल–4.43 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–15,990 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/01/2021 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

(स) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी 15 दिवस उपरांत आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स श्री दामोदर दास भूतड़ा (बीजामांठा आर्डिनरी स्टोन माईन), ग्राम–बीजाभांठा, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1291)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 152437/2020, दिनांक 02/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 30/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बीजाभांठा, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 32, कुल क्षेत्रफल–3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–16,720 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।
2. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
4. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/01/2021 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

(स) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी 15 दिवस उपरांत आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. मेसर्स एन.के.जे. बायो फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–रामहेपुर, तहसील–कवर्धा, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1525)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी2/ 59925/ 2021, दिनांक 16/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–रामहेपुर, तहसील–कवर्धा, जिला–कबीरधाम स्थित कुल क्षेत्रफल – 24 एकड़ में न्यू मोलासेस बेस्ड डिस्टिलरी यूनिट क्षमता – 80 किलोलीटर प्रतिदिन (एनहाईड्रेस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्युट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपए 114.5 करोड़ होगा।

विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक/एफ 12–16/15–02/2019/317 नवा रायपुर, दिनांक 23/01/2021 द्वारा बताया गया है कि राज्य शासन की उद्योग नीति वर्ष 2019–24 में उल्लेखित उच्च प्राथमिकता के उद्योगों की सूची में सहकारी शक्कर कारखाना आधारित जैव ईधन / इथेनॉल संयंत्र सूचीबद्ध है। राज्य मंत्री परिषद् की बैठक दिनांक 24/03/2020 अनुसार प्रदेश के सहकारी शक्कर कारखानों में पी.पी.पी. मॉडल से इथेनॉल प्लांट स्थापना का निर्णय लिया गया है। राज्य मंत्री परिषद् के निर्णय के अनुपालन में प्रथम चरण में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में पी.पी.पी. मॉडल से इथेनॉल प्लांट की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है, जिस हेतु कारखाने (मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित) द्वारा मेसर्स एन.के.जे. बायो फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड के साथ दिनांक 29/12/2020 को अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 355वीं बैठक दिनांक 27/01/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी/पत्र का परीक्षण एवं अवलोकन किया गया। विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग द्वारा बताया गया है कि इथेनॉल प्लांट की स्थापना से कारखाने से संबद्ध गन्ना उत्पादक कृषकों को लाभ होना, रोजगार के अवसर बढ़ना, राज्य के राजस्व में वृद्धि होना, संबद्ध क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि आना प्रतिवेदित करते हुए उक्त संयंत्र की स्थापना से संबंधित कार्यवाहियों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने हेतु अनुरोध किया गया है। **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि उक्त प्रकरण लोकहित एवं राज्य के विकास से संबंधित है। अतः उपरोक्त अनुरोध को मान्य करते हुये उक्त के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी आयोजित बैठक दिनांक 28/01/2021 में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भूपेन्द्र ठाकुर, मेनेजिंग डॉयरेक्टर (मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित), श्री राजेश गौतम, डॉयरेक्टर (मेसर्स एन.के.जे. बायो फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड) एवं मेसर्स वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट, पूणे की ओर तकनीकी सलाहकार के रूप में डॉ. दीपाली निम्बलकर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम शहर कवर्धा 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल ग्राम–रामहेपुर 1.5 कि.मी., अस्पताल 9.9 कि.मी. एवं निकटतम रेल्वे स्टेशन बिलासपुर 108 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 130 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.2 कि.मी. दूर है। सकरी नदी 11.5 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – डिस्टीलरी इकाई हेतु आवेदित भूमि का कुल क्षेत्रफल – 24 एकड़ है, जिसमें से प्लांट एवं मशीनरी स्थापना हेतु क्षेत्रफल 15 एकड़ तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 8 एकड़ (33 प्रतिशत) होगा। पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना बताया गया है।

3. **भूमि संबंधी विवरण** – मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित वर्ष 2004 से स्थापित है। इसकी गन्ना क्रशिंग उत्पादन क्षमता 2500 टन / दिन है। डिस्टीलरी इकाई हेतु आवेदित भूमि मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित के नाम पर होना बताया गया है। मेसर्स एन.के.जे. बायो फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड द्वारा डिस्टिलरी की स्थापना मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित द्वारा लीज पर प्रदत्त भूमि पर करना प्रस्तावित है।

4. **परियोजना संबंधी विवरण –**

Content		Molasses-C Heavy	Molasses-B Heavy	Syrup (40-50 Deg. Brix)
Raw Material	Quantity	297 TPD	258 TPD	315 TPD
	Sources	From BSSUKM Sugar factory + Remaining molasses will be purchased from nearby sugar factories and others vendor		
	In raw material also involve Nutrient N,P - 120 kg/d and Turkey Red Oil (TRO) - 400 kg/d			
Fuel	Concentrated Spent Wash	106.6 m^3/day	64 m^3/day	37 m^3/day
	Coal	3.67 MT/h	3.67 MT/h	3.67 MT/h
	OR			
	Rice Husk	4.9 MT/h	4.9 MT/h	4.9 MT/h
	OR			
	Bagasse	7.5 MT/h	7.5 MT/h	7.5 MT/h

Water	Quantity	712 m³/day	580 m³/day	380 m³/day
	Source	Bore well / Tube well from the site		
Steam	Quantity	550 TPD	460 TPD	392 TPD
	Source	Proposed incineration Boiler (30 TPH)		
	Utilization	STG- Distillery + MEE + Boiler De-aerator & SCAPH + losses		
Effluent	Process Condensate	534 m³/day	416 m³/day	283 m³/day
	Spent Lees	120 m³/day	112 m³/day	104 m³/day
	Others (CT blowdown, Fermenter washing & boiler blowdown)	114 m³/day	114 m³/day	114 m³/day

5. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** –

Waste	Quantity	Treatment	Disposal	Remark
Yeast Sludge	25-27 TPA	Drying	Used as a soil enriching material	Organic
Boiler Ash (Spent wash + Coal) Or (Spent wash + Bagasse) Or (Spent wash + Rise Husk)	49.68 TPD Or 22.56 TPD Or 42.48 TPD	-	Sold to brick manufacturing units / will be used as mixed with soil	Inorganic
Distillery Condensate Polishing unit Sludge	38-42 TPA	Drying	mixed with soil through member farmer / for own plot	Organic

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन नियंत्रण हेतु बॉयलर में ई.एस.पी. तथा फ्यूल हेण्डलिंग एवं न्यूमेटिक ऐश हेण्डलिंग सिस्टम के लिए बेग फिल्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

7. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु मल्टी ईफेक्ट इवापोरेटर, कण्डेसेट पॉलिसिंग यूनिट (इक्विलाइजेशन टैंक, न्यूट्रेलाइजेशन टैंक, एनारोबिक डॉयजेस्टर, एरोबिक ट्रीटमेंट, प्रायमरी एवं सेकेण्डरी क्लेरिफिकेशन, सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एवं स्लज डिस्पोजल सिस्टम) एवं ईन्सीन्रेशन की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

8. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रूफटॉप एवं स्ट्रॉम वाटर रिचार्ज हेतु रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का विवरण ई.आई.ए. रिपार्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

9. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 3 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति स्वयं के प्रस्तावित केप्टिव पॉवर प्लांट से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

10. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – परिसर के चारों तरफ कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत अर्थात 8 एकड़ क्षेत्र में तीन पंक्तियों में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

11. प्रस्तुतीकरण के दौरान मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित के मैनेजिंग डॉयरेक्टर द्वारा समिति को निम्न तथ्यों से अवगत कराया गया:–

    i. पूर्व में न्यू मोलासेस बेस्ड डिस्टिलरी यूनिट क्षमता – 40 किलोलीटर प्रतिदिन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था।

    ii. मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित एवं वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट, पूणे के मध्य दिनांक 12/01/2017 को डिस्टीलरी की स्थापना एवं संचालन तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की समस्त प्रक्रिया (ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने सहित) बाबत् सलाहकार के रूप में एग्रीमेंट किया गया था।

    iii. मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित के पत्र दिनांक 06/02/2017 द्वारा वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट, पूणे को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य आरंभ करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया, जिसके परिपेक्ष्य में वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट, पूणे द्वारा पत्र दिनांक 22/01/2018 के माध्यम से मॉनिटरिंग कार्य मार्च से मई, 2018 के मध्य किये जाने की सूचना दी गई थी।

    iv. न्यू मोलासेस बेस्ड डिस्टिलरी यूनिट क्षमता – 40 किलोलीटर प्रतिदिन की स्थापना बाबत् पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में दिनांक 01/10/2018 को आवेदन किया गया था। उक्त आवेदन के परिपेक्ष्य में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 04/11/2018 द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने के लिए टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया।

    v. छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन दिनांक 16/04/2020 के द्वारा पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को राज्य की मंत्री परिषद् की बैठक दिनांक 24/03/2020 के निर्णय से अवगत कराया गया है। जिसके अनुसार सहकारी शक्कर कारखाना, कवर्धा, पण्डरिया, बालोद एवं अम्बिकापुर में पी.पी.पी. मोड में इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है तथा इस संबंध में समस्त अनुषांगिक कार्यवाही करने के लिए सहकारिता विभाग को अधिकृत किया गया है।

vi. उपरोक्त निर्णय के परिपालन में डिस्टिलरी की स्थापना बाबत् मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित एवं मेसर्स एन.के.जे. बायो फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड मध्य एग्रीमेंट किया गया है।

vii. प्रबंध संचालक, भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, कवर्धा के पत्र दिनांक 12/01/2021 द्वारा कारखाना परिसर में पी.पी.पी. मोड में स्थापित होने वाले इथेनॉल प्लांट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित द्वारा की गई कार्यवाही, जानकारी तथा ई.आई.ए. अध्ययन के आंकड़ें एवं दस्तावेजों का उपयोग मेसर्स एन.के.जे. बायो फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किये जाने की अनापत्ति प्रदान की गई है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि राज्य शासन द्वारा मोलासेस बेस्ड इथेनॉल प्लांट की स्थापना पी.पी.पी. मोड में किये जाने का निर्णय लिया गया है। फलस्वरूप न्यू मोलासेस बेस्ड डिस्टिलरी यूनिट क्षमता – 80 किलोलीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। चूंकि पूर्व में मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट, पूणे को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। अतः प्रस्तावित कार्यकलापों के ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु भी वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट, पूणे को सलाहकार के रूप में रखा गया है। वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट, पूणे द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च, 2018 से मई, 2018 तक किया गया है। उक्त बेसलाईन डाटा की अवधि को 03 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है तथा स्थल परिर्वतन भी नहीं हुआ है। अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु उक्त बेसलाईन डाटा का उपयोग करने की अनुमति प्रदान किये जाने एवं तदानुसार नवीन टर्म्स ऑफ रिफरेन्स जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. मार्च से मई, 2018 के मध्य बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य किया गया है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 04/11/2018 द्वारा प्रस्तावित स्थल पर ही ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने के लिए टी.ओ.आर. जारी किया गया था। वर्तमान में इसी स्थल पर डिस्टीलरी की स्थापना हेतु टी.ओ.आर. बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिससे इन्व्यारोनमेंटल सेटिंग्स में कोई परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता है। बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य एक ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञ तकनीकी संस्थान द्वारा किया गया है तथा ड्राफ्ट / फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट भी इसी संस्थान द्वारा तैयार किया जावेगा। अतः मार्च से मई, 2018 में लिए गए बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ड्राफ्ट / फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध को मान्य किया गया।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(जी)

डिस्टिलरी (Distillery) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall prepare EIA report incorporating the effect of sugar mill under operational condition.

ii. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

iii. Project proponent shall submit land area statement of open area incorporating the area of roads, parking space, plantation and free space earmarking it on layout.

iv. Project proponent shall submit the layout of plant incorporating proposed plantation work, earmarking at-least 20 meter width (3 tier) of land for plantation all along the boundary and dense plantation around effluent treatment plant and sewage treatment facilities.

v. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

vi. Project proponent shall submit details of STP & ETP units along with process flow diagram.

vii. Project proponent shall submit the energy saving techniques proposed in the project.

viii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स पारस पावर एण्ड कोल बेनीफिशिएशन लिमिटेड, ग्राम–घुटकु, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1057 (पुराना 235))

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 129832/ 2019, दिनांक 23/12/2019 को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2017 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का शर्त कमांक 07 में संसोधन चाहा गया है।

प्रस्ताव का विवरण – पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–घुटकु, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 2885, 2897, 2903, 2904, 2913, 2915–2921, 2928, 2926/3, 2926/4, 2926/5, 2930, 3000/1, 3000/2, 2999, 3002/1, 3002/2, 2982/1, 2887/88, 2889/2, 2889/3 एवं 2874 में कोल वॉशरी (थ्रु पुट) क्षमता – 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष की स्थापना हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया था।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/03/2016 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को बी–1 केटेगरी का होने के कारण स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था। तत्पश्चात् परियोजना

प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 10/11/2016 को ऑफलाईन प्रस्तुत की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2017 द्वारा ग्राम–घुटकु, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 2885, 2897, 2903, 2904, 2913, 2915–2921, 2928, 2926/3, 2926/4, 2926/5, 2928, 2930, 3000/1, 3000/2, 2999, 3002/1, 3002/2, 2982/1, 2887/88, 2889/2 एवं 2874 में कोल वॉशरी क्षमता – 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष (वेट टाईप कोल वॉशरी), कुल क्षेत्रफल 14.38 एकड़ हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. औद्योगिक प्रयोजन के लिए आवश्यक जल के संग्रहण हेतु प्रस्तावित रेन वॉटर कलेक्शन पॉण्ड की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 के आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सत्येन्द्र जैन, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तानुसार कोल वॉशरी हेतु जल की आपूर्ति केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण से अनुमति उपरांत की जा रही थी। वर्तमान में उद्योग सेमी क्रिटिकल जोन के अंतर्गत आने के कारण माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 03/01/2019 के परिपालन में केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण द्वारा ज्ञापन क्रमांक सीजीडब्लुए/ एनओसी/ आईएनडी/ आरईएन/ 1/ 2019/ 5588 दिनांक 16.01.2019 को घरेलु एवं हरित पट्टिका के विकास हेतु 495 घनमीटर प्रतिदिन के स्थान पर 45 घनमीटर प्रतिदिन हेतु संशोधित भू–जल अनुमति जारी की गई, जिसकी वैद्यता 16/10/2021 तक है। अतः जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त क्रमांक 07 में निम्नानुसार संशोधन हेतु आवेदन किया गया है:– "जल उपयोग की मात्रा – प्रतिदिन लगभग 495 घनमीटर प्रतिदिन (प्रोसेस 430 घनमीटर प्रतिदिन, डोमेस्टिक 05 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन 60 घनमीटर प्रतिदिन) जल खपत होगा। जिसका स्त्रोत भू–जल एवं सतही–जल होगा। सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी के पत्र कमांक सीजीडब्लुए/एनओसी/आईएनडी/1/2019/5588 दिनांक 18/10/2019 दवारा 45 घनमीटर प्रतिदिन के भूमिगत जल की

उपयोगिता हेतु अनुमति प्राप्त की गई है। अतिरिक्त जल का उपयोग 450 घनमीटर प्रतिदिन स्वयं के तालाब में एकत्रित जल द्वारा किया जाये या स्थानीय टेंकर द्वारा बाहर से जल की आपूर्ति की जाये जब तक कि सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी द्वारा 495 घनमीटर प्रतिदिन भू–जल की उपयोगिता हेतु अनुमति की प्राप्ति न हो जाये।"

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्षा के जल को एकत्र किए जाने हेतु पूर्व में रिजेक्ट कोल के भंडारण हेतु चिन्हित क्षेत्र 0.58 हेक्टेयर में पॉण्ड का निर्माण किया गया है। कोल वॉशरी क्षेत्र माईक्रो वॉटर शेड (क्षेत्रफल 11,886 वर्गमीटर) के अंतर्गत आता है, वर्षा काल के दौरान हुई वर्षा के जल को वॉशरी के भीतर निर्मित पॉण्ड में भंडारण कर उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जिसकी अनुमति हेतु जल संसाधन विभाग में आवेदन किया गया है, जो कि विचाराधीन है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार रिजेक्ट कोल के भंडारण हेतु 0.58 हेक्टेयर क्षेत्र निर्धारित था। वर्तमान में उक्त क्षेत्र में वर्षा के जल को एकत्र किए जाने हेतु पॉण्ड का निर्माण किया जाना बताया गया है। अतः वर्तमान में रिजेक्ट कोल का भंडारण कहॉ किया जाता है तथा भविष्य में कहॉ भंडारण किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी ले–आउट में प्रदर्शित कर प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं समिति के समक्ष किए गये प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित क्षेत्र में कोई प्राकृतिक नाला / निकासी पास में नहीं होना बताया गया है। अतः पॉण्ड में आवश्यक जल का भंडारण कैसे होगा? इस संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
3. परिसर के भीतर निर्मित पॉण्ड में एकत्र वर्षा जल से 450 घनमीटर प्रतिदिन जल का उपयोग किए जाने हेतु निर्मित पॉण्ड की विस्तृत जानकारी (पॉण्ड का क्षेत्रफल, लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई) एवं गणना सहित तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. वर्षा काल के दौरान माईक्रो वॉटर शेड (क्षेत्रफल 11,886 वर्गमीटर) के अंतर्गत हुई वर्षा के जल को कोल वॉशरी के भीतर निर्मित पॉण्ड में भंडारण कर उपयोग किया जाना बताया गया है। परिसर के बाहर के जल को रोके जाने तथा उपयोग किए जाने हेतु जल संसाधन विभाग/सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर, प्रस्तुत किया जाए।

(स) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया है।
2. समिति की बैठक दिनांक 20/01/2020 में लिए गये निर्णय अनुसार वांछित जानकारी आज दिनांक (12 माह) तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक द्वारा वांछित जानकारी प्रस्तुत करने एवं प्रकरण में कोई रूचि नहीं दिखाई जा रही है, अतः प्रकरण को नस्तीबद्ध किया जाए।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, ग्राम–कोलबिर्रा, तहसील–मरवाही, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1159)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आरआईवी /139729/2020, दिनांक 04/02/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रिव्हर वेली परियोजना है। परियोजना ग्राम–कोलबिर्रा, तहसील–मरवाही, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 345/2, 357/1, 358/1(पार्ट), 358/2(पार्ट), 358/3 एवं 361(पार्ट), कुल कल्चरेबल कमाण्ड एरिया (Culturable Command Area) – 5005 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। परियोजना की प्रस्तावित जल क्षमता – 9.23 मिलियन लीटर प्रतिदिन है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित क्रियाकलाप से जलप्रवाह में किसी प्रकार की आपदा की घटना (जिसमें उस जल क्षेत्र की टोपोग्राफी या उस क्षेत्र की भूमि शामिल हो) जैसे:– मृदा अपरदन आदि के उचित रोकथाम की व्यवस्था तथा क्षेत्र के जीव एवं वनस्पतियो पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए अपनाये जाने वाले उचित उपायों संबंधी हेतु जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. प्रभावित स्थान की विशिष्ट स्थलाकृति पर पड़ने वाले/आने वाले परिवर्तन एवं उसके रोकथाम के उपायों संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. उक्त क्षेत्र में मृदा की जल ग्रहण क्षमता में होने वाले परिवर्तन के बारे में एवं इसके प्रभाव को कम करने संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. प्रस्तावित परियोजना में यदि किसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित हो तो उस संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
5. प्रस्तावित परियोजना में उपयोग होने वाले भूमि (वन, राजस्व, निजी स्वामित्व, बंजर आदि) संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एस.पी. सिंह, कार्यपालन अभियंता उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 320वीं बैठक दिनांक 14/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एस. पी. सिंह, कार्यपालन अभियंता एवं श्री बी.पी. जादौन, एस. डी.ओ. उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. यह परियोजना तेंदुडोंगर पहाड़ को जोड़कर बनाया जाना प्रस्तावित है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

No.	Description	Details
1	Site	Latitude - 22^{0}52'16" Longtitude – 82^{0}03'33"
2	Type of Project	Earthen Dam Irrigation Project
3	Supply Source	Son River, Tributary of Ganga River
4	Catchment Area	189.30 Km^2
5	Gross Storage Capacity	9.639 Million Cum
6	Live Storage Capacity	7.58 Million Cum
7	Dead Storage Capacity	2.121 Million Cum
8	Tank % in Relation to Yield	12.49 %
9	Gross Command Area	5,645 Ha.
10	Cultivable Command Area	5,005 Ha.
11	Area Proposed under Irrigation	3,730 Ha. (Kharif 3500 Ha. & Rabi 230 Ha.)
12	Head Discharged L.B.C.	6.60 Cumecs
13	Length of Canal	46,860 meter
14	Length of Minors	13,260 meter
15	Total Length of Canal / Distributary	60,120 meter
16	Bed Width	3.20 meter
17	Full Supply Depth	1.65 meter
18	Free Board	0.60 meter
19	Side Slope	2:1
20	Bed Grade	1 in 5000
21	Length of Dam	1,010 meter
22	Maximum Height of Dam	12.04 meter
23	Top Width of Dam	4.50 meter
24	Top of Bund Level	562.50 meter
25	Maximum Water Level	560.5 meter
26	Full Tank Level	558.5 meter

27	Lowest Sill Level	550 meter
28	Nala Bed Level	547 meter

2. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **भूमि का विवरण** – परियोजना ग्राम–कोलबिर्रा, पथरा एवं कोटमी–कालन में प्रस्तावित है। परियोजना का कुल डुबान क्षेत्रफल 311.91 हेक्टेयर है, जिसमें निजी स्वामित्व की भूमि का क्षेत्रफल 170.91 हेक्टेयर, शासकीय भूमि का क्षेत्रफल 87 हेक्टेयर एवं वन भूमि का क्षेत्रफल 54 हेक्टेयर है। नहर निर्माण का क्षेत्रफल 81.5 हेक्टेयर है, जिसमें 67.88 हेक्टेयर निजी स्वामित्व की भूमि है एवं 13.62 हेक्टेयर वन भूमि है। इस प्रकार कुल निजी भूमि का क्षेत्रफल 238.79 हेक्टेयर एवं वन भूमि का क्षेत्रफल 67.62 हेक्टेयर है। वर्तमान में निजी स्वामित्व की भूमि को क्रय नहीं किया गया है, यद्यपि उनसे सहमति प्राप्त की गई है। वन विभाग से वन भूमि के उपयोग हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए आवेदन किया जाना प्रस्तावित है।

4. परियोजना से कुल 8 ग्राम यथा–कोलबिर्रा, बारगांव, डोंगराटोला, भर्रीढांड, घुसरिया, पण्डरी, देवगांव एवं डंडिया लाभान्वित होगें।

5. **इन्व्हायरोन्मेंट मॉनिटरिंग रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य सितंबर, 2019 (Post Monson Season) में किया गया है। परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत 4 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 3 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 4 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 18.52 से 21.46 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 34.56 से 40.24 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 5.82 से 9.92 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 8.52 से 15.14 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 64.6 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 62.6 डीबीए पाया गया।

6. मॉनिटरिग परिणाम अनुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर की मात्रा अधिक है, जो कि वास्तविक प्रतीत नहीं होती है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त का कारण स्पष्ट नहीं किया जा सका। अतः परिवेशीय ध्वनि स्तर की पुनः मॉनिटरिग कराया जाना आवश्यक है।

7. प्रस्तुत अध्ययन अनुसार परियोजना क्षेत्र में संकटग्रस्त प्रजाति (Endangered Species) का फ्लोरा/फौना नहीं पाया गया है।

8. इन्व्हायरोन्मेंट मेनेजमेंट प्लान में प्रस्तावित बजट कुल रूपये 54.53 लाख का प्रावधान रखा गया है। इस मद में यह राशि अपेक्षाकृत कम प्रतीत होती है। अतः परियोजना के निर्माण एवं संचालन के दौरान पर्यावरण के विभिन्न घटकों पर पड़ने वाले प्रभाव एवं जल, वायु आदि प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये जाने वाले उपायों में व्यय एवं इनके संधारण में होने वाले व्यय को शामिल किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति निम्नानुसार से निर्णय लिया गया था कि

1. प्रस्तावित क्रियाकलाप से जलप्रवाह में किसी प्रकार की आपदा की घटना (जिसमें उस जल क्षेत्र की टोपोग्राफी या उस क्षेत्र की भूमि शामिल हो) जैसेः– मृदा अपरदन आदि के उचित रोकथाम की व्यवस्था तथा क्षेत्र के जीव एवं वनस्पतियो पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए अपनाये जाने वाले उचित उपायों संबंधी हेतु जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. प्रभावित स्थान की विशिष्ट स्थलाकृति पर पड़ने वाले/आने वाले परिवर्तन एवं उसके रोकथाम के उपायों संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. उक्त क्षेत्र में मृदा की जल ग्रहण क्षमता में होने वाले परिवर्तन के बारे में एवं इसके प्रभाव को कम करने संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. प्रस्तावित परियोजना में यदि किसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित हो तो उस संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
5. वन विभाग से वन भूमि के उपयोग हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए आवेदन की प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. परिवेशीय ध्वनि स्तर की मॉनिटरिग कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
7. परियोजना के निर्माण एवं संचालन के दौरान पर्यावरण के विभिन्न घटकों पर पड़ने वाले प्रभाव एवं जल, वायु आदि प्रदूषण नियंत्रण हेतु समग्र रूप से इन्व्हायरोन्मेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया जाए।
8. जल संग्रहण के फलस्वरूप आस–पास के क्षेत्र में वाटर लॉगिंग होने / न होने के संबंध में जानकारी एवं वाटर लॉगिंग होने की दशा में उपचार हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
9. प्रस्तावित परियोजना से आस–पास के क्षेत्र में स्तनधारियों (Mammals), पक्षियों, रेपटाईल्स, उभयचर (Amphibian) एवं अन्य जलीय जीव जन्तुओं पर कोई विपरित प्रभाव न पड़ने संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
10. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में टायलेट का निर्माण, शासकीय स्कूलों में आरओ, अलमारी, टेबल, कम्प्युटर, युनिफार्म, खेलकुद सामग्री, अंग्रेजी शिक्षक की व्यवस्था एवं फसल उपज की जानकारी आदि का प्रावधान किया गया है, जो कि इस मद में उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। अतः सी.ई.आर. के तहत् परियोजना के 10 कि.मी. की परिधि में स्थित शासकीय स्कूल / अस्पताल में रेनवाटर हार्वेस्टिंग, सोलर लाईटिंग, वृक्षारोपण की व्यवस्था, मृदा अपरदन की रोकथाम हेतु कैचमेंट एरिया ट्रिटमेंट आदि का समावेश कर सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

(द) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि समिति के ज्ञापन दिनांक 06/06/2020 एवं 29/12/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक द्वारा वांछित जानकारी प्रस्तुत करने एवं प्रकरण में कोई रूचि नहीं दिखाई जा रही है, अतः प्रकरण को नस्तीबद्ध किया जाए।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदियुन्न तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स मकरन्दीपुर ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी माईन एवं फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री मोहन साहू) को खसरा क्रमांक 2386, ग्राम–मकरन्दीपुर, तहसील–रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्र 1.77 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 1,932 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता – 9,85,781 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 1.77 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 1,932 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता – 9,85,781 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। फिक्स चिमनी से चारों तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग मे की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)

8. ईंट उत्पादन हेतु फिक्स्ड चिमनी आधारित ईंट भट्टे की स्थापना किया जाए। ईंट भट्टे की चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा एवं चिमनी की ऊंचाई भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।
9. ईंट निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।
10. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।
11. ईंट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फ्लाई एश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईंट भट्टे से उत्पन्न राख का पुनःउपयोग ईंट निर्माण में किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ों आदि को भू–भरण हेतु उपयोग किया जाए।
12. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्वार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईंट भट्टा क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
15. मिट्टी एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज

का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
38	2%	0.76	Following activities at Government Primary School, **Village-Harijanpara Tiwaragudi**	
			Rain Water Harvesting System	0.55
			Plantation	0.21
			Total	**0.76**

17. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 342 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
19. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में कम से कम 200 पौधे प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 400 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**
20. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
21. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
22. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

23. उत्खन्न की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
24. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
25. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
26. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
27. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों /विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
31. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
33. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की

जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

34. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
35. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
36. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
37. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
38. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

श्री विमल शर्मा, कुरूसकेरा सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर, ग्राम–कुरूसकेरा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (छ.ग.) में पैरी नदी से रेत उत्खनन क्षमता 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

2. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

5. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई. ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति

में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 90 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

15. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,500 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 500 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

16. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

17. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाएः–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
79.75	2%	1.60	Following activities at Nearby Government Primary School & Gram Panchay at Bhawan **Village-Kuruskera** and Government High School **Village-Sursbandha**	
			Rain Water Harvesting System	1.09
			Plantation	0.53
			Total	**1.62**

19. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

20. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

21. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

22. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

23. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

24. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981,

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

32. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

33. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

श्री अरुण कुमार गुप्ता, अरौद सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.95 हेक्टेयर में से 4.55 हेक्टेयर, ग्राम–अरौद, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी (छ.ग.) में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता 68,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

2. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 4.55 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 68,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

5. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 64 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

15. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,500 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 500 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

16. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

17. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाएः–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
25.85	2%	0.51	Following activities at Nearby Government School **Village- Araud(Ii)**	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Potable Drinking water Facility	0.05
			Running water facility for Toilets	0.15
			Total	**0.55**

19. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

20. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

21. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

22. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

23. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

24. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

32. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

33. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

श्री आशीष अग्रवाल, पुरनापानी सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.1 हेक्टेयर में से 3.35 हेक्टेयर, ग्राम–पुरनापानी, तहसील–देवभोग, जिला–गरियाबंद (छ.ग.) में तेल नदी से रेत उत्खनन क्षमता 33,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

2. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 3.35 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 33,500 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

5. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 44 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

15. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,200 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 500 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

16. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

17. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
17.96	2%	0.35	Following activities at Nearby Government Primary School **Village- Purnapani**	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Running water facility for Toilets	0.15
			Total	**0.50**

19. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

20. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

21. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

22. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

23. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

24. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट **www.envfor.nic.in** एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट **www.seiaacg.org** पर भी किया जा सकता है।

29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

32. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

33. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**